



वार्षिक रिपोर्ट

2020-21



राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार



वार्षिक रिपोर्ट

2020–21

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार





विषय सूची

क्र.सं	विषय	पृष्ठ सं.
1.	भूमिका	1
2.	एनआरआईडीए के उद्देश्य	2
3.	संगठनात्मक प्रबंधन	5
4.	प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क प्रायोजित योजना (सीएसएस)	8
5.	प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के तहत गुणवत्ता आश्वासन क्रियाविधि	14
6.	मॉनीटरिंग एवं प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस)	18
7.	अनुसंधान एवं विकास / नवीन प्रौद्योगिकी	28
8.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	30
9.	राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों (एनक्यूएम) के लिए अभियुक्तीकरण—सह—प्रशिक्षण कार्यक्रम	36
10.	पीएमजीएसवाई निविदाओं में ऑनलाइन बिड सिक्युरिटी और निविदा शुल्क लागू करना	37
11.	पीएफएमएस के आरईएटी (रसीद, व्यय, अग्रिम और स्थानांतरण) मॉड्यूल में स्थिच ओवर करना	37
12.	एनआरआईडीए के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) तंत्र	37
13.	प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण (पीएमएवाई—जी) के लिए निधि (नाबार्ड से ऋण) जारी करना	38
14.	एनआरआईडीए का बजट / अनुदान सहायता	38
15.	एनआरआईडीए के लेखापरीक्षित लेखे	39
16.	एनआरआईडीए में राजभाषा कार्यान्वयन नीति	39
17.	अनुलग्नक—I : संगठनात्मक चार्ट	43
18.	अनुलग्नक—II : आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत 2020–21 में स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण	44
19.	अनुलग्नक—III : प्रधान तकनीकी एजेंसियां (पीटीए) की सूची और उन्हें आवंटित राज्य	45
20.	अनुलग्नक—IV : राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) की सूची	46
21.	अनुलग्नक—V(i) : पीएमजीएसवाई—I के तहत 2020–21 के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण	49
22.	अनुलग्नक—V(ii) : पीएमजीएसवाई—II के तहत 2020–21 के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण	50
23.	अनुलग्नक—V(iii) : पीएमजीएसवाई—III के तहत 2020–21 के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण	51
24.	अनुलग्नक—VI(i) : पीएमजीएसवाई के तहत बसावटों के लिए भौतिक उपलब्धियां	52
25.	अनुलग्नक—VI(ii) : पीएमजीएसवाई के तहत पूर्ण की गई लंबाई के लिए भौतिक उपलब्धियां	54
26.	अनुलग्नक—VII : पीएमजीएसवाई प्राप्त उपलब्धि 2020–21	56
27.	अनुलग्नक—VIII : पीएमजीएसवाई — अनुसंधान एवं विकास— लक्ष्य एवं उपलब्धियां 2020–21	58



28	अनुलग्नक—IX : अनुसंधान एवं विकास कार्य 2020–21 के तहत स्वीकृत लंबाई का राज्यवार विवरण	60
29	अनुलग्नक—X : पीएमएवाई—जी के लिए नाबार्ड से लिए गए ऋण के विवरण	61
30	अनुलग्नक—XI : 2020–21 के लिए वास्तविक व्यय	62
31	अनुलग्नक—XI (क) : मार्च 31, 2021 का तुलन पत्र	64
32	अनुलग्नक—XI (ख) : 31.03.2021 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां	65
33	अनुलग्नक—XI (ग) : दिनांक 31.03.2021 के तुलन पत्र भाग के रूप में अनुसूचियां	74
34	अनुलग्नक—XI (घ) : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	75
35	अनुलग्नक—XI (च) : लेखाओं के लिए टिप्पणियां	76
36	अनुलग्नक—XI (छ) : 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता	78
37	अनुलग्नक—XI (ज) : 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता	79



संक्षिप्तियों की शब्दावली

एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एआईटीडी	एशियाई परिवहन विकास संस्थान
एओसी	अनुबंध किया जाना
एएपी	वार्षिक कार्य योजना
एटीआर	कार्रवाई रिपोर्ट
बीएडीपी	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
सीबीआर	कैलिफोर्निया बीयरिंग रेश्यो
सी—डैक	प्रगत संगणन विकास केन्द्र
सीजीएआरडी	ग्रामीण विकास में भू—सूचनात्मक अनुप्रयोग केंद्र
सीपीग्राम	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
सीपीपी	केंद्रीय सार्वजनिक खरीद
सीआरआरआई	केंद्रीय सङ्क अनुसंधान संस्थान
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
सी एण्ड एजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीयूसीपीएल	उन्नयन सह समेकन व्यापक प्राथमिकता सूची
डीईए	आर्थिक मामलों का विभाग
डीजी	महानिदेशक
डीपीआईयू	जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाई
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीआरआरपी	जिला ग्रामीण सङ्क योजना
डीएससी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र
ईमार्ग	ग्रामीण सङ्कों का इलेक्ट्रॉकनिक रखरखाव
ईएससीआई	भारतीय इंजीनियरिंग स्टॉफ कॉलेज
एफएंडए	वित एवं प्रशासन
एफआईएनएनओसी	फिनिस ओवरसीज कंसल्टेंट लिमिटेड
एफओएसएस	निःशुल्क एवं मुक्त संसाधन सॉफ्टवेयर
जेपनिक	एनआईसी की सरकारी ई—प्रापण प्रणाली
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीआरएएम	ग्रामीण कृषि बाजार
जीआरएएसएस	भौगोलिक संसाधन विश्लेषण सहायता प्रणाली
एचक्यू	मुख्यालय
आईएएचई	राजमार्ग अभियंता संस्थान
आईएपी	एकीकृत कार्य योजना
आईसीटी पीएमयू	सूचना संचार प्रौद्योगिकी परियोजना प्रबंधन ईकाई



आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआरसी	भारतीय सड़क कांग्रेस
जे.एस	संयुक्त सचिव
एलएसबी	लंबे स्पैन का पुल
एलडब्ल्यूई	वामपंथ अतिवाद
एमडीआर	मुख्य जिला सड़क
एमएफएफ	बहु ट्रेंच वित्त पोषण सुविधा
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनएच	राष्ट्रीय राजमार्ग
एनआईसीएमएआर	राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान
एनआईआरडी एंड पीआर	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनक्यूएम	राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर
एनआरआईडीए	राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी
एनआरआरडीए	राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
एनआरएससी	राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केन्द्र
ओडीआर	अन्य जिला सड़क
ओजीपीसी	ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कार्पेट
ओएमएमएएस	ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली
पी-I	परियोजना-I
पी- II	परियोजना-II
पी- III	परियोजना-III
पीसीआई	फुटपाथ स्थिति सूचकांक
पीईसी	निष्पादन मूल्यांकन समिति
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीआईयू	परियोजना कार्यान्वयन ईकाई
पीएमजीएसवार्ड	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीटीएज़	प्रधान तकनीकी एजेंसियां
क्यूजीआईएस	क्वांटम भौगोलिक सूचना प्रणाली
आरएंडडी	अनुसंधान एवं विकास
आरसी	ग्रामीण संयोजकता
आरसीआईपी	ग्रामीण संयोजकता निवेश कार्यक्रम



आरसीपीएलडब्ल्यूईए	वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संयोजकता परियोजना
आरसीटीआरसी	ग्रामीण संयोजकता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र
आरडी	ग्रामीण सड़क
आरएच	ग्रामीण आवास
आरआरएम	क्षेत्रीय समीक्षा बैठक
आरआरएमपी	ग्रामीण सड़क अनुरक्षा नीति
आरआरएनएमयू	ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई
आरआरपी	ग्रामीण सड़क परियोजना
आरआरपी-II	ग्रामीण सड़क परियोजना-II
एसएच	राष्ट्रीय राजमार्ग
एसक्यूसी	राज्य गुणवत्ता समन्वयक
एसक्यूएम	राज्य गुणवत्ता मॉनीटर
एसआरसीआईपी	द्वितीय ग्रामीण संयोजकता निवेश कार्यक्रम
एसआरआई	संतोषजनक परंतु सुधार की आवश्यकता
एसआरआरडीए	राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
एसटीए	राज्य तकनीकी एजेंसियां
टीआईए	निविदा आमंत्रण प्राधिकारी
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम
यूटी	संघ शासित प्रदेश
यूएस\$	अमरीकी डॉलर
वीआर	गांव की सड़क
डब्ल्यू एमएम	गीला मिक्स मैकडम





1. भूमिका

1.1 सड़कें राष्ट्र में आवागमन का मुख्य रास्ता हैं और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक प्रोत्साहन प्रदान करती है। भारत में बारहमासी सड़क संपर्कता का अभाव, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में एक गंभीर समस्या है। सड़क अवसंरचना का अपर्याप्त होना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास, कृषि उत्पादकता और रोजगार को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है और गरीबी बढ़ाता है। भारत सरकार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र बस्तियों में बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के प्रयोजन से राष्ट्रव्यापी ग्रामीण सड़क निवेश कार्यक्रम—प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कार्यक्रम पीएमजीएसवाई—के कार्यान्वयन के माध्यम से इस समस्या का समाधान कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए)¹ ने ग्रामीण सड़कों के अभाव के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का अपना लक्ष्य बनाया है।

1.2 भारत सरकार ने गरीबी कम करने की रणनीति की एक प्रक्रिया के रूप में, संविधान की राज्य सूची में उल्लिखित “ग्रामीण सड़कों” के माध्यम से राज्यों की सहायता के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 25 दिसंबर, 2000 को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-I) शुरू की। पीएमजीएसवाई का प्राथमिक उद्देश्य आवश्यक पुलियों और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र असंबद्ध बस्तियों के लिए पूरे वर्ष संचालित रहने वाली एक बारहमासी सड़क के माध्यम से संपर्कता प्रदान करना है। जनगणना 2001 के अनुसार गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा चिह्नित किए गए मैदानी क्षेत्रों में 500+ और उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों और चयनित आदिवासी और पिछड़े जिलों में 250+ की आबादी वाली बस्तियों को इस योजना के तहत कवर किया जाना था, ताकि इन बस्तियों की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अपनी उपज के लिए बाजारों तक पहुंच हो सके। गंभीर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित ब्लॉकों (जैसा कि एमएचए द्वारा पहचाना गया है) में 100+ (जनगणना 2001) की आबादी के साथ बस्तियों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। पीएमजीएसवाई-I में उन जिलों, जहां नामित आबादी के आकार के सभी पात्र बस्तियों को सभी मौसमों में सड़क से संपर्क स्थापित कर दिया गया था, में मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन (निर्धारित मानकों के अनुसार) का एक कार्य भी था, हालांकि यह उद्देश्य योजना (पीएमजीएसवाई-I) के लिए मुख्य नहीं था। हालांकि, वित्त पोषण पैटर्न को 01.04.2015 से संशोधित किया गया है और अब यह भारत सरकार और संबंधित राज्य के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 90:10 के अनुपात में साझा करने के आधार पर है। कार्यक्रम (पीएमजीएसवाई-I) का प्राथमिक उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 और उससे अधिक की आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) के साथ सभी मौसमों में एकल सड़क संपर्कता प्रदान करना था। विशेष श्रेणी राज्यों (अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखण्ड), रेगिस्तानी क्षेत्रों (जिन्हें रेगिस्तान विकास कार्यक्रम में चिह्नित किया गया है), जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों और चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय और पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा यथा चिह्नित) के संबंध में इसका उद्देश्य 250 व्यक्तियों और इससे अधिक (2001 जनगणना) जनसंख्या वाली पात्र अलग-थलग बस्तियों को संपर्क प्रदान करना है। गृह मंत्रालय द्वारा चिह्नित अधिकांश गहन आईएपी ब्लॉकों के लिए 100 और इससे अधिक की जनसंख्या (जनगणना 2001 के अनुसार) वाले अलग-थलग आवासीय क्षेत्र पीएमजीएसवाई के तहत शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं।

¹इस एजेंसी की गतिविधियों में आवासीय घटक को शामिल किए जाने के चलते 04 मई 2017 से राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरआईडीए) का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) कर दिया गया है।



1.3 वर्ष 2000 में लगभग 40% आवासीय क्षेत्र बारहमासी सड़कों से जुड़े नहीं थे। पीएमजीएसवाई की शुरुआत के बाद, जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) की व्यवस्थित तैयारी की गई और कोर नेटवर्क चिह्नित किया गया। कोर नेटवर्क सभी पात्र आवासीय क्षेत्रों के लिए एकल बारहमासी संपर्कता सुनिश्चित करता है। इस योजना के अनुपालन के परिणामस्वरूप, करीब 3.93 लाख कि.मी. लंबी नई सड़कें बनाकर और 3.73 लाख कि.मी की मौजूदा सड़कों के उन्नयन करके 1,57,408 लाख आवासीय क्षेत्रों (राज्य योजनाओं के तहत कवर किए गए आवासीय क्षेत्रों को छोड़कर) को संयोजकता प्रदान करने का लक्ष्य तय किया गया। इसके अलावा, मूल कोर नेटवर्क में छुट गए सामान्य मैदानी क्षेत्रों में 500 और इससे अधिक की आबादी वाले और अनुसूची-V (82 आईएपी के अलावा) और बीएडीपी, पहाड़ी राज्यों, रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 और इससे अधिक, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिला के संबंध में अरुणाचल प्रदेश में 250+ आबादी वाले अन्य अलग—थलग रहे आवासीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल के हालिया अनुमोदन के चलते 2001 की जनगणना के अनुसार पीएमजीएसवाई के तहत कुल पात्र अलग—थलग रहे आवासीय क्षेत्रों की संख्या 1,78,184 हो गई है। इसके अलावा, दिसंबर 2016 में मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, पीएमजीएसवाई के तहत वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के लिए सड़क संपर्कता प्रदान करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विशिष्ट परियोजना भी शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत, गृह मंत्रालय द्वारा चिह्नित सर्वाधिक गहन 267 ब्लॉकों में 100 और उससे अधिक (2001 की जनगणना के अनुसार) की अलग—थलग बस्तियों को पीएमजीएसवाई के तहत संपर्कता प्रदान की जानी है।

1.4 राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) का गठन 14 जनवरी, 2002 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा-21 (XXI) के तहत किया गया था। एनआरआरडीए का मूल उद्देश्य तकनीकी विशिष्टताओं, परियोजना मूल्यांकन, गुणता निगरानी और निगरानी प्रणाली के प्रबंधन के बारे में सलाह के माध्यम से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना है। मंत्रालय की सहायता करने की दृष्टि से, एजेंसी इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और प्रबंधन सहायता प्रदान करने हेतु एक सुगठित, व्यावसायिक और बहु-विषयी निकाय के रूप में काम कर रही है। एनआरआरडीए की गतिविधियों में आवासीय घटक शामिल किए जाने के फलस्वरूप, इसका नाम 04 मई 2017 से राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) कर दिया गया है।

2. एन.आर.आई.डी.ए. के उद्देश्य

ग्रामीण सड़कों और ग्रामीण आवास के लिए एनआरआइडीए के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

I. ग्रामीण सड़कें:

- क. विभिन्न तकनीकी एजेंसियों के साथ विचार—विमर्श करना और ग्रामीण सड़कों के उपयुक्त डिजाइन और विनिर्देशों को अंतिम रूप देना और, इसके बाद पुलों और पुलियाओं सहित ग्रामीण सड़कों के डिजाइन और विनिर्देश निर्धारित करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता करना।
- ख. प्रधान तकनीकी एजेंसियों और राज्य तकनीकी एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करना।
- ग. प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों को, उनको सौंपे जाने वाले कार्यों के निष्पादन के लिए प्रधान तकनीकी एजेंसियों और राज्य तकनीकी एजेंसियों के रूप में नियुक्त करना।
- घ. जिला ग्रामीण सड़क योजनाओं को तैयार करने में राज्यों या संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना।



- च. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ग्रामीण विकास मंत्रालय के विचारार्थ प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा करना या इनकी संवीक्षा की व्यवस्था करना।
- छ. मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और राज्यों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा उनकी कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे सड़क—कार्यों के निष्पादन पर नजर रखना या निरीक्षण करना अथवा स्वतंत्र मॉनिटरों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था करना।
- ज. सरकारी एजेंसियों द्वारा सड़क कार्यों के समुचित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों के बारे में अनुभव रखने वाले सेवारत या सेवानिवृत्त इंजीनियरों, शिक्षाविदों, प्रशासकों और अन्य एजेंसियों को स्वतंत्र मॉनीटर के रूप में नियुक्त करना।
- झ. निर्माण पूरा करने की समय—सीमा, तकनीकी विनिर्देश, परियोजना मूल्यांकन और गुणवत्ता नियंत्रण विधियों के विशेष संदर्भ में सड़क—कार्यों की प्रगति मॉनीटर करना।
- ठ. आंकड़ों के तत्क्षण अवलोकन और स्क्रीनिंग को सुगम बनाने के लिए अद्यतन सूचना प्राप्त करने हेतु, “ऑन—लाइन प्रबंधन और निगरानी प्रणाली” स्थापित करना जिसमें इंटरनेट और इंटरनेट—आधारित दोनों प्रणालियां शामिल हों।
- ठ. राज्यों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा सड़क कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवधिक रिपोर्ट भेजना।
- ड. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्यों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा बनाई गई ग्रामीण सड़कों के दोनों ओर फलदायक और अन्य उपयुक्त वृक्षों के रोपण की योजना बनाना और ऐसे वृक्षरोपण की मॉनीटरिंग करना।
- ढ. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यान्वयन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए धन के संदर्भ में राज्य या संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त व्यय रिपोर्टों के माध्यम से और ‘ऑन—लाइन प्रबंधन और निगरानी प्रणाली’ के माध्यम से राज्यों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा किए गए व्यय की निगरानी करना।
- त. प्रायोगिक परियोजनाओं के निष्पादन सहित ग्रामीण सड़कों से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों का जिम्मा लेना।
- थ. ग्रामीण सड़कों के संबंध में विभिन्न प्रौद्योगिकियों का अध्ययन और मूल्यांकन करना और विविध प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हुए प्रायोगिक परियोजनाओं का जिम्मा लेना।
- द. ग्रामीण सड़कों के बारे में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों, एजेंसियों या प्रतिष्ठानों के निकाय के साथ मिलकर काम करना।
- ध. मंत्रालय के साथ—साथ संबंधित राज्य सरकारों अथवा संघ शासित प्रदेशों के ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
- न. ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और लागत—मानदंडों में सुधार संबंधी उपायों पर सलाह देना।
- प. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में किताबें, साहित्य प्रकाशित करना; प्रिंट, श्रव्य या दृश्य—श्रव्य प्रचार सामग्री तैयार करना या इसकी व्यवस्था करना।
- फ. ग्रामीण सड़कों के बारे में कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित तथा प्रायोजित करना।
- ब. ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अपेक्षित उपकरण या मशीनरी खरीदना, लीज या किराए पर लेना।
- भ. कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों, जिन पर अमल किया जाना हो, की आयोजना और कार्यान्वयन में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता करने के लिए यथा—आवश्यक गतिविधियों का जिम्मा लेना।



(II) ग्रामीण आवास:

- क. नाबाड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में कार्य करना और मंत्रालय द्वारा प्रेषित लक्ष्य के सापेक्ष धन अंतराल के आधार पर राज्यों को वितरित करना।
- ख. वार्षिक कार्य योजना के विकास में राज्यों की सहायता करना और वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों का अनुवर्तन करना।
- ग. यूएनडीपी, आईआईटी आदि जैसी एजेंसियों के साथ काम करना और योजना, उन्नयन, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्राक्कलन सहित राज्य-वार आवास डिजाइन प्रारूप वर्गीकरणों के विकास में राज्यों की सहायता करना।
- घ. राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने में केंद्र और राज्यों की सहायता करना।
- च. राज्य तकनीकी सहायता एजेंसियों को चिह्नित करने में राज्यों का सहयोग करना और राज्य तकनीकी सहायता एजेंसियों और अन्य राज्य स्तरीय तकनीकी कार्मिकों के लिए अभिमुखीकरण और पुनर्शर्चर्या प्रशिक्षण आयोजित करना।
- छ. गुणवत्ता पूर्ण निर्माण सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति का समन्वय करना। बाजार में प्रचलित लागत की तुलना में कम लागत पर निर्माण सामग्री तक पहुंच के लिए उद्योग संघों के साथ बातचीत करना और जिला सामग्री बैंकों की स्थापना सुगम बनाना।
- ज. राज्य, जिला और खंड स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना में राज्यों को सहायता और सलाह प्रदान करना।
- झ. निष्पादन और पारदर्शिता में सुधार और रिसाव कम करने के लिए आईटी प्रबंधन प्रणालियों के डिजाइन और विकास में योगदान करना। एमआईएस में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त निगरानी संकेतकों को चिह्नित करना और एमआईएस डेटा के विश्लेषण में ग्रामीण विकास मंत्रालय का सहयोग करना।
- ठ. हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण आवास ज्ञान नेटवर्क (आरएचकेएन) पोर्टल की सामग्री का प्रबंधन करना।
- ठ. आवास योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- ड. पुस्तकों और साहित्य को प्रकाशित करने और प्रचार सामग्री के सृजन की व्यवस्था करना।
- ढ. ग्रामीण विकास मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन।
- त. ग्रामीण आवास कार्यक्रमों के निष्पादन, निगरानी और सुधार के लिए आवश्यक विभिन्न गतिविधियों के दायित्व के लिए पेशेवरों की भर्ती।
- थ. ग्रामीण आवास में की गई पहलों पर राष्ट्रीय मीडिया कवरेज को सुगम बनाना।
- द. सरकार के ग्रामीण आवास कार्यक्रम पर शोध, प्रायोगिक अध्ययनों, निगरानी और मूल्यांकन अध्ययनों का जिम्मा लेना और देश में ग्रामीण आवास की स्थिति का पता लगाना।
- ध. अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी में ग्रामीण आवास में अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव तैयार करना।
- न. कार्यक्रम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए यथा आवश्यक गतिविधियों का जिम्मा लेना और प्रधानमंत्री आवास योजना और ऐसे अन्य संबंधित कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता करना।



3. संगठनात्मक प्रबंधन

3.1 एनआरआईडीए की सामान्य सभा में अधिकतम 21 सदस्य होते हैं। सदस्यों के रूप में, इनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण के प्रतिनिधि, ग्रामीण सङ्कों या राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के अन्य किसी उद्देश्य से जुड़े पंजीकृत निकाय, संस्थान और एजेंसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रासंगिक विशिष्ट विशेषज्ञता प्राप्त, योग्यता प्राप्त अथवा अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री एनआरआईडीए के अध्यक्ष, राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास) सह—अध्यक्ष और सचिव, ग्रामीण विकास उपाध्यक्ष हैं। रिपोर्ट की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एनआरआईडीए की सामान्य सभा की संरचना इस प्रकार है: —

क्र सं	नाम	कार्य-दायित्व एवं पता	एनआरआईडीए में पदनाम
1	श्री नरेंद्र सिंह तोमर	ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	साध्वी निरंजन ज्योति	राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सह—अध्यक्ष
3	श्री राजेश भूषण	सचिव (ग्रामीण विकास), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष (26.04.2020 तक)
	श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा	सचिव (ग्रामीण विकास), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष (27.04.2020 से)
4	श्री प्रशांत कुमार	विशेष सचिव (ए एवं सी / ग्रामीण आवास) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य (31.08.2020 तक)
5	श्री संजीव कुमार	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य (24.01.2021 तक)
	सुश्री लीना जोहरी	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य (25.01.2021 से)
6	श्रीमती अलका उपाध्याय	अपर सचिव, (ग्रामीण विकास) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	महानिदेशक (06.09.2020 तक)
	डॉ. आशीष कुमार गोयल	संयुक्त सचिव (ग्रामीण संपर्कता), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	महानिदेशक (07.09.2020 से)
7	श्री गया प्रसाद	उप महानिदेशक (आरएच / प्रशासन) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	अपर महानिदेशक
8	श्री देवेन्द्र कुमार	निदेशक (आरसी), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली	सदस्य



9	सुश्री ममता	संयुक्त निदेशक (आरसी), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य (13.01.2021 तक)
	श्री ललित कुमार	उप सचिव (आरसी), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य (14.01.2021 से)
10	श्री के.एम.सिंह	उप सचिव (आरसी) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
11	श्री शैलेश कुमार	उप सचिव (आरएच) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य

3.2 एनआरआईडीए की कार्यकारी समिति में पदेन अध्यक्ष के तौर पर महानिदेशक, एनआरआईडीए और एनआरआईडीए अध्यक्ष द्वारा नियुक्त सात सदस्य शामिल होते हैं। भारत सरकार और सामान्य सभा द्वारा समय—समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार एजेंसी की सभी कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां समिति के पास निहित हैं। रिपोर्टर्धीन अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एनआरआईडीए की कार्यकारी समिति की संरचना इस प्रकार थी:

क्र.सं.	नाम	कार्य—दायित्व एवं पता	एनआरआईडीए में पदनाम
1. (क)	श्रीमती अलका उपाध्याय	अपर सचिव, (ग्रामीण विकास) एवं महानिदेशक एनआरआईडीए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	महानिदेशक (पदेन) (06.09.2020 तक)
1. (ख)	डॉ. आशीष कुमार गोयल	संयुक्त सचिव (ग्रामीण संपर्कता) एवं महानिदेशक, एनआरआईडीए, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	महानिदेशक (पदेन) (07.09.2020 से)
2.	डॉ. के सुधाकर रेड्डी	प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, पश्चिम बंगाल	सदस्य
3.	डॉ. अजीत प्रताप सिंह	प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान पिलानी, राजस्थान	सदस्य
4.	श्री बिनोद कुमार	वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, दृढ़ कुट्टिम प्रभाग, केंद्रीय सङ्क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), सुखदेव विहार, जसोला, नई दिल्ली	सदस्य
5.	डॉ. यू सी साहू	सहायक प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, खोरड़ा (ओडिशा)	सदस्य



6.	श्री चंद्र शेखर	निदेशक (वित्त), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री बी सी प्रधान	सलाहकार — निदेशक (तकनीकी) एनआरआईडीए, नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्री दीपक आशीष कौल	निदेशक (वित्त एवं प्रशा.) एनआरआईडीए, नई दिल्ली	सदस्य

3.3 सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित संगठनात्मक संरचना में 5 प्रभाग हैं। डिवीजनों के अनुसार काम का बंटवारा दर्शाते हुए संगठनात्मक ढांचा अनुलग्नक—I पर दिया गया है। अपर सचिव/सं.सचिव (आरसी), ग्रामीण विकास मंत्रालय एनआरआईडीए के पदेन महानिदेशक हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित अधिकारी प्रतिनियुक्ति आधार पर एनआरआईडीए में काम कर रहे थे:

1. श्री दीपक आशीष कौल, निदेशक (वित्त एवं प्रशा.)
2. डॉ. आई. के. पटेरिया, निदेशक (पी—II) एवं (पी—III)
3. श्री प्रदीप अग्रवाल, निदेशक (पी—I)
4. श्री पी. मोहनसुंदरम, संयुक्त निदेशक (तकनीकी)
5. श्री सत्येंद्र प्रसाद, संयुक्त निदेशक (तकनीकी)
6. श्री सुनील कुमार, संयुक्त निदेशक (पी—III)
7. श्री राजीव लोचन, संयुक्त निदेशक (पी—II)
8. श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक (पी—III)
9. श्री नवनीत कुमार, संयुक्त निदेशक (पी—I)
10. श्री राकेश कुमार, उप निदेशक (पी—III)
11. श्री कैलाश कुमार बिष्ट, उप निदेशक (वित्त एवं प्रशा.)
12. श्री भुपेंद्र सिंह बिष्ट, उप निदेशक (वित्त एवं प्रशा.)
13. डॉ. प्रदीप कुमार, उप निदेशक (वित्त एवं प्रशा.)
14. सुश्री तनुप्रीत कौर, उप निदेशक (पी—I)
15. श्री सी.पी.एस. यादव, सहायक निदेशक (पी—I)
16. श्री गिरीश चंद्र सिंह, सहायक निदेशक (वित्त एवं प्रशा.)
17. श्री राजेश मक्कड़, सहायक निदेशक (वित्त एवं प्रशा.)
18. श्री राजकुमार अरोड़ा, सहायक निदेशक (वित्त एवं प्रशा.)
19. श्री आनंद कपूर, सहायक निदेशक (पी—III)



अधिकारियों और कार्मिकों के अन्य पदों का प्रबंधन जन–शक्ति सेवा प्रदाता एजेंसियों की सेवाएं लेकर और युवा सिविल इंजीनियर और संविदा के आधार पर परामर्शी और परामर्शी (सेवानिवृति के बाद) की नियुक्तियों के माध्यम से किया गया।

4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)

4.1 आयोजना

4.1.1 जिला ग्रामीण सड़क योजनाएं एवं कोर नेटवर्क:— जिला ग्रामीण सड़क योजना में जिले में विद्यमान मौजूदा सड़क नेटवर्क प्रणाली शामिल होती है और इसमें असंगत आवासीय क्षेत्रों को सड़क संयोजकता प्रदान करने के लिए लागत और उपयोगिता के संदर्भ में मितव्ययी और कार्यकुशल ढंग से प्रस्तावित सड़कों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाता है। कोर नेटवर्क ग्रामीण सड़कों का वह नेटवर्क होता है जो सभी आवासीय क्षेत्रों को मूलभूत एकल बारहमासी पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए आधारभूत होता है। मूलभूत पहुंच को किसी आवासीय क्षेत्र के लिए सभी मौसमों के अनुकूल एकल सड़क संयोजकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोर नेटवर्क के अंतर्गत मौजूदा सड़कों के साथ—साथ पात्र अलग—थलग आवासीय क्षेत्रों के लिए बनाई जाने वाली सड़कें भी शामिल होती हैं।

4.1.2 सभी राज्य सरकारों को जिला ग्रामीण सड़क योजना तैयार करनी होती है और पीएमजीएसवाई के तहत आयोजना के लिए कोर नेटवर्क चिन्हित करना होता है। सभी राज्यों से अंतिम कोर नेटवर्क डेटा प्राप्त हो चुका है तथापि कुछ राज्यों ने गहन समीक्षा और मौके पर सत्यापन के बाद संरचना में संशोधन या आवासीय क्षेत्रों की संयोजकता स्थिति बदलने के लिए कोर नेटवर्क की समीक्षा आवश्यकता को व्यक्त किया है। कुछ राज्यों ने मौके पर सत्यापन के लिए मंजूरी ली है और तदनुसार कोर नेटवर्क में आवश्यक बदलाव किए हैं। कुछ राज्यों ने गांव के बजाय आवासीय क्षेत्र को संयोजकता की इकाई मानते (जिन राज्यों में पहले ऐसा किया गया था) हुए कोर नेटवर्क को संशोधित किया है।

4.1.3 पीएमजीएसवाई—I

कुछ राज्य सरकारों ने लक्षित बस्तियों के लिए हर मौसम में सड़क संपर्क व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएमजीएसवाई—I के तहत स्वीकृत सड़कों पर बचे हुए पुलों की स्वीकृति देने के लिए अनुरोध किया था। मंत्रालय ने 2020–21 के दौरान बिहार, मणिपुर और सिक्किम राज्यों के लिए ऐसे छूटे हुए पुल प्रस्तावों पर विचार किया था। वित्त वर्ष 2020–21 में पीएमजीएसवाई—I के तहत स्वीकृतियों का राज्य—वार विवरण अनुलग्नक—V(i) में है।

4.1.4 पीएमजीएसवाई –II के लिए डीआरआरपी का संशोधन

पीएमजीएसवाई-II के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी राज्यों से अपेक्षित है कि वे 2011 के जनगणना आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) पुनराक्षित करें। सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश पीएमजीएसवाई—I के तहत नई संयोजकता का 100% और सभी पात्र अपग्रेडेशन परियोजनाओं का 75% (90% लंबाई के लिए मंजूरी मिलने के बाद) अवार्ड करने के बाद पीएमजीएसवाई-II के तहत मंजूरी मांगने के लिए पात्र हो जाएंगे। अलग—अलग राज्य अलग—अलग समय पर पीएमजीएसवाई-II के लिए पात्र बनेंगे। 2020–21 तक, सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों अंडमान निकोबार एवं पुडुचैरी ने अपनी डीआरआरपी पुनराक्षित कर ली है और पीएमजीएसवाई-II के तहत परियोजनाएं मंजूर करा ली हैं। वित्त वर्ष 2020–21 में पीएमजीएसवाई-II के तहत मंजूरियों का राज्य वार व्यौरा अनुलग्नक—V(ii) पर है।



4.1.5 डीआरआरपी-II का अद्यतनीकरण, और पीएमजीएसवाई-III के लिए संकेत मानचित्रों का सृजन पीएमजीएसवाई-III मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को बसावटों से जोड़ने के लिए प्राथमिकता देने के आधार पर मौजूदा माध्यम मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों के उन्नयन पर केंद्रित है। पीएमजीएसवाई-III के माध्यम से लगभग 80,250 करोड़ रुपये के व्यय से माध्यम मार्ग / प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्ग की 1.25 लाख किलोमीटर की लक्ष्य लंबाई को अपग्रेड किया जाना है। यह अगस्त, 2019 से प्रारंभ किया गया और मार्च, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से पीएमजीएसवाई-III दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरपीपी-II) अद्यतन किया जाना और जनगणना डेटा 2011 के अनुसार बसावटों की जनसंख्या को अद्यतन किया जाना अपेक्षित है। डीआरपीपी किसी जिले में सभी मौजूदा सड़कों (एन.एच., एस.एच., एम.डी.आर., ओडी.आर., वी.आर आदि) की पूरी सूची है और डीआरआरपी जीआईएस प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। इसके बाद राज्य/संघ शासित प्रदेश जियो—पीएमजीएसवाई एप्लिकेशन का उपयोग करके प्रत्येक खंड में ग्रामीण सुविधाओं को जियो—टैग करने के लिए सुविधा सर्वेक्षण का संचालन करते हैं। डीआरपीपी की तैयारी और सुविधा सर्वेक्षण पूरा होने पर, एनआरआईडीए द्वारा बनाए गए टूल के आधार पर “संकेत मानचित्र” सृजित होता है। संकेत मानचित्र वह मानचित्र है जो खंड की सभी डीआरआरपी सड़कों को उनके निकटतम कृषि और ग्रामीण बाजारों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, प्रशासनिक, परिवहन और अस्पतालों तक पहुंचने के लिए सड़क पर निर्भर आबादी के आधार पर क्रमबद्ध और कलर कोडेड करता है। संकेत मानचित्र क्यूजीआईएस (QGIS) और ग्रास (GRASS) जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करके विकसित की गई कस्टम नेटवर्क विश्लेषण एल्गोरिदम के आधार पर बनाया गया है। प्रत्येक खंड का अलग संकेत मानचित्र होगा और इसकी सहायता से संभावित सड़कों का चयन किया जाता है। तत्पश्चात, प्रस्तावों के चयन के लिए सीयूसीपीएल के प्रणाली—आधारित सृजन के लिए ओएमएएस का उपयोग किया जाता है। सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश पीएमजीएसवाई-I और पीएमजीएसवाई-II के तहत स्वीकृत लंबाई का 90% अवार्ड करने के बाद पीएमजीएसवाई-III के तहत मंजूरियों का अनुरोध करने के लिए पात्र हैं। पीएमजीएसवाई-III के तहत, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 12,577.96 किमी लम्बी सड़कें और 63 पुल स्वीकृत किए गए और वित्तीय वर्ष के 2020–21 के दौरान 43,906.07 कि.मी. लम्बी सड़कें और 471 पुल स्वीकृत किए गए। वित्तीय वर्ष 2020–21 में, 16 राज्यों को पीएमजीएसवाई-III के तहत प्रस्तावों की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में की गई स्वीकृतियों के राज्य—वार विवरण अनुलग्नक-V(iii) में हैं।

4.1.6 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संयोजकता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) उन जिलों जो वामपंथी उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, में सुरक्षा दृष्टिकोण से ग्रामीण सड़क संयोजकता में सुधार के लिए, “वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संयोजकता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए)” को पीएमजीएसवाई के तहत संयोजकता प्रदान करने के लिए अलग वर्टिकल के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें सुरक्षा और संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वामपंथी उग्रवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित 44 जिलों और आसपास के जिलों में, पुलियाओं और आर-पार निकासी संरचनाओं के साथ ऐसी बारहमासी सड़कें तैयार की जाती हैं जो सभी मौसमों में काम आ सकें। “वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संयोजकता परियोजना” जो कि केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रयोजक एवं कार्यान्वयन प्रभारी



मंत्रालय के रूप में चिह्नित किया गया है। आरसीपीएलडब्ल्यूईए के कार्यान्वयन की प्रस्तावित अवधि 4 वर्ष अर्थात् 2016–2017 से 2019–20 तक थी। कार्य पूर्ण ना होने के कारण, गृह मंत्रालय ने आरसीपीएलडब्ल्यूई के कार्यान्वयन अवधि को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है।

9 राज्यों, अर्थात्, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद से सबसे बुरी तरह से प्रभावित 44 जिलों और कुछ आसपास के जिलों में सड़क संपर्क में सुधार करने के उद्देश्य से आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) की मंजूरी के साथ आरसीपीएलडब्ल्यूईए को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना के दोहरे उद्देश्य सुरक्षा बलों द्वारा सुचारू और निर्बाध वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों को सक्षम बनाना और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों में अन्य जिला सड़कें (ओडीआर), ग्रामीण सड़कें (वीआर) और मौजूदा मुख्य जिला सड़कों (एमडीआर) का उन्नयन शामिल है जो सुरक्षा बिंदु से महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इन सड़कों पर 100 मीटर की लंबाई तक के पुलों की भी अनुमति है। राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों से गहन परामर्श के बाद गृह मंत्रालय द्वारा आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत निर्माणाधीन सड़कों को चिह्नित किया गया है।

आरसीपीएलडब्ल्यूई के तहत दिसंबर 2016 में कैबिनेट ने 11,725 करोड़ रुपये के परिव्यय से 5,412.80 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी थी, जिसमें से रुपये 6,179 करोड़ की बचत के साथ 5,546 करोड़ रुपये (चरण-I) की लागत से 5,236.37 कि.मी. (351 सड़कें और 254 एलएसबी) की स्वीकृत दी गई है। इन बचतों के मद्देनजर, गृह मंत्रालय ने चरण-II में 6,043 कि.मी. की पुनः संस्तुति की है, जिसमें से वर्ष 2019–20 के दौरान रुपये 3,953 करोड़ की लागत से 4,713 कि.मी. (565 सड़कें और 173 एलएसबी) की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के दौरान रुपये 53.12 करोड़ की लागत से 68.85 कि.मी. (12 सड़कें) की स्वीकृति दी गई है। समग्र रूप में, रुपये 9,113 करोड़ के परिव्यय से मार्च 2021 तक दो चरणों में कुल 9,393.86 किमी (906 सड़क और 423 एलएसबी) को मंजूरी दी गई है, जिससे आरसीपीएलडब्ल्यूई के तहत कुल मिलाकर 2,612 करोड़ रुपये की बचत हुई। 2020–21 के दौरान दी गई स्वीकृतियों के राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिए हैं।

4.2 तकनीकी सहायता

4.2.1 प्रधान तकनीकी एजेंसियां:— तकनीकी सहायता प्रदान करने और अनुसंधान परियोजनाओं का जिम्मा लेने, विभिन्न प्रौद्योगिकियों का अध्ययन और मूल्यांकन करने और ग्रामीण सड़कों के गुणवत्ता बढ़ाने और लागत में कटौती के उपायों पर सलाह देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रमुख तकनीकी संस्थानों सहित सात प्रधान तकनीकी एजेंसियां (पीटीए) नियुक्त की गई। 2020–21 के दौरान मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), भोपाल को भी पीटीए के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 2020–21 के दौरान पीटीए की सूची अनुलग्नक-III में है।

4.2.2 राज्य तकनीकी एजेंसियां:— राज्य सरकारों की सिफारिशों और कतिपय पूर्व-निर्धारित पात्रता मानकों के आधार पर प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों को राज्य तकनीकी एजेंसियां (एसटीए) के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य तकनीकी एजेंसियां (एसटीए) राज्य सरकारों द्वारा तैयार परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा करती हैं और उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। राज्य तकनीकी एजेंसियों द्वारा की गई संवीक्षा से परियोजना मंजूरी की प्रक्रिया तेज होती है, पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में निश्चित स्तर का तकनीकी अनुशासन और सख्ती स्थापित होते हैं, साथ ही यह राज्य प्राधिकरणों के लिए प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक है। 31.03.2021 के अनुसार एसटीए की सूची अनुलग्नक-IV पर है।



4.3 परियोजना संवीक्षा तथा स्वीकृति

राज्यों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्य तकनीकी एजेंसियों के अनुमोदन के पश्चात, इन्हें एनआरआईडीए को भेजा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावों को कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, एनआरआईडीए परीक्षण जांचे और नमूना आधार पर आगे की संवीक्षा करता है। डीपीआर के अनुरूप टिप्पणियां राज्यों को भेजे जाते हैं और राज्यों के द्वारा संशोधन किए जाने के बाद, इन संवीक्षित प्रस्तावों को पूर्व अधिकार-प्राप्त समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है। राज्यों द्वारा पूर्व अधिकार-प्राप्त समिति की टिप्पणियों के अनुपालन के बाद, प्रस्तावों को अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है। अधिकार प्राप्त समिति के संस्तुति के आधार पर वर्ष 2020–21 के दौरान मंत्रालय द्वारा पीएमजीएसवाई—I, पीएमजीएसवाई-II, पीएमजीएसवाई-III एवं आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत कुल ₹29,604.41 करोड़ मूल्य के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें 44,196.42 किमी लंबाई (5,933 सड़क कार्य और 819 एलएसबी) को कवर किया गया था। सिफारिश के आधार पर वर्ष 2020–21 के दौरान कार्यक्रम—वार स्वीकृतियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:—

क्र.सं	कार्यक्रम	स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य (₹. करोड़ में)	सड़कों की संख्या	लम्बाई कि.मी.में	एलएसबी की संख्या
1	पीएमजीएसवाई—I	731.35	—	—	249
2	पीएमजीएसवाई-II	285.64	101	221.5	99
3	पीएमजीएसवाई-III	28,534.30	5,820	43,906.07	471
4	आरसीपीएलडब्ल्यूईए	53.12	12	68.85	—
	कुल	29,604.41	5,933	44,196.42	819

राज्यवार स्वीकृति के ब्यौरे अनुलग्नक II, अनुलग्नक V(i), अनुलग्नक V(ii) एवं अनुलग्नक V(iii) में है।


4.4 प्रत्यक्ष उपलब्धियां

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत, योजना के तहत कवरेज के लिए पहचान की गई 250+ जनसंख्या आकार की 1,78,184 योग्य बस्तियों में से, 1,54,987 बस्तियों को पहले ही कवर किया जा चुका है और राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से 16,086 बस्तियों को संपर्कता प्रदान कर दी गई है। 31 मार्च, 2021 तक कुल 6,62,680 कि.मी. लम्बाई की सड़क का निर्माण कर दिया गया है। 100–249 जनसंख्या श्रेणी (एलडब्ल्यूई क्षेत्रों) के तहत, 6,286 बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई है, जिनमें से 5,662 बस्तियों को 31 मार्च, 2021 तक सड़क सुविधा प्रदान कर दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों—वार विवरण अनुलग्नक VI (i) और अनुलग्नक VI(ii) में दिए गए हैं।


रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, 36,677 किलोमीटर लंबाई की नई संयोजकता और उन्नयन के माध्यम से 2,588 बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है। राज्य वार विवरण अनुलग्नक VII में दिए गए हैं।



2020–21 तक पीएमजीएसवाई संचयी संयोजकता रुझान



2020–21 के तहत पीएमजीएसवाई संचयी संयोजकता रुझान



4.5 पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों का रखरखाव

कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़क परिसंपत्तियों का टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2003 से निर्माण अनुबंध के साथ-साथ पांच साल के लिए निर्माण रखरखाव अनुबंध का अनिवार्य प्रावधान भी लागू किया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्यों में रखरखाव गतिविधियों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसा तंत्र विकसित किया गया है जिसमें राज्यों को इस कार्यक्रम के तहत निधि तभी जारी की जाएगी जब संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एसआरआरडीए बैंक खातों में रखरखाव



निधियां जारी कर दी जाएंगी। मंत्रालय भी रखरखाव निधि की उपलब्धता और राज्यों द्वारा व्यय की निगरानी कर रहा है। राज्य की प्रतिबद्धता और प्रत्येक सड़क पर अपेक्षित व्यय के अनुसार रखरखाव निधि की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए ओएमएसएस में एक प्रावधान भी शामिल किया गया है। राज्यों को इस हेतु भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने राज्य के लिए विशिष्ट ग्रामीण सड़क रखरखाव नीति (आरआरएमपी) बनाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी ने आईएलओ के सहयोग से ग्रामीण सड़कों की रखरखाव नीति के विकास के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है। राज्य स्तर पर अधिसूचना और ग्रामीण सड़क अनुरक्षण नीति अपनाने के लिए नीतिगत ढांचे को एक मार्गदर्शन नोट के साथ राज्यों के साथ साझा किया गया है।

यह नीति और मार्गदर्शन नोट, ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क की स्थिरता के बारे में स्पष्ट समझ रखने के लिए राज्यों की ग्रामीण सड़क एजेंसियों के लिए मददगार होगा। अब तक, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर सभी राज्यों ने ग्रामीण सड़क रखरखाव नीति तैयार कर ली है।

सड़कों का निर्माण, रखरखाव एवं मरम्मत आईआरसी 2014 द्वारा प्रकाशित सड़क और पुलों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के विनिर्देश में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। दोषपूर्ण देयता अवधि के दौरान सड़कों के रखरखाव पर ध्यान बढ़ाने और पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव की सुपुर्दगी को सुव्यवस्थित करने के लिए, मंत्रालय ने सभी राज्यों में पीएमजीएसवाई सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (eMARG) को लागू कर दिया है। ईमार्ग, ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक अनुरक्षण, ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए 1 अप्रैल, 2020 को एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी समाधान के रूप में परिचालन में आया। निष्पादन आधारित अनुरक्षण संविदा (पीबीएमसी) पर संकल्पित, ईमार्ग एक खाका तैयार करता है कि सरकारी विभागों में अवसंरचना के अनुरक्षण का समाधान स्मार्ट आईटी और संविदा प्रबंधन से कैसे किया जा सकता है। पीबीएमसी संविदा एक तरीका है, जिसमें संविदाकर्ता द्वारा करणीय कार्य करने, यानि, सड़क की न्यूनतम वांछित स्थिति बनाए रखना, इसकी जलनिकासी की व्यवस्था करना और यातायात संपत्तियों का अनुरक्षण करने के आधार पर संविदाकर्ता को भुगतान किया जाता है। भुगतान इस बात पर आधारित होते हैं कि संविदाकर्ता, संविदा में परिभाषित निष्पादन मानकों या सेवा स्तरों का किस हद तक पालन करता है, न कि टुकड़ों-टुकड़ों में काम करने या काम की मात्रा के आधार पर।

ई—मार्ग एक जीआईएस आधारित स्थान से दूसरे स्थान (एण्ड टू एण्ड) का ई—प्रशासन समाधान है जो इंटरनेट के माध्यम से प्रतिबंधित भूमिका आधारित पहुंच (एक्सेस) उपलब्ध कराता है।

ई—मार्ग सभी परिस्थितियों में पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करता है, अतः पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव संबंधी भुगतानों के लिए पीएमजीएसवाई सड़कें जो डीएलपी के अंतर्गत हैं, सड़कों के निष्पादन आधारित मूल्यांकन पर बल देता है। अब तक, सभी राज्य ईमार्ग पर काम करने लगे हैं। वर्तमान में ईमार्ग, निरीक्षण करने, सिंगल विलक बिलों को तैयार करने और अनुमोदन करने तथा भुगतान करने के लिए पूरे भारत में 1,494 जिले पीआईयू और 10,275 ठेकेदारों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, इस प्रकार, इसने मैन्युअल और कठिन कार्यों को आसान बना दिया है। अब तक, से 31 मार्च, 2021 तक 3,05,982 बिलों के प्रति ईमार्ग के माध्यम से 534 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।




5. प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के तहत गुणवत्ता आश्वासन क्रियाविधि


- i. प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना (पीएमजीएसवाई) में पीएमजीएसवाई के तहत किए गए सङ्क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीन स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की परिकल्पना की गई है। इस तंत्र के पहले दो स्तरों का जिम्मा संबंधित राज्य सरकारों का है और तीसरे स्तर के तहत, एनआरआईडीए औचक तौर पर चयनित पीएमजीएसवाई परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) को काम पर लगाता है। पीएमजीएसवाई का उद्देश्य “अच्छी बारहमासी सङ्कों” प्रदान करना है और इसलिए कार्यक्रम की कार्यान्वयन रणनीति “गुणवत्ता” शब्द पर केंद्रित है।
- ii. कार्यक्रम दिशा—निर्देशों के अनुसार, सङ्क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना मुख्य रूप से कार्यक्रम को लागू कर रही राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है। एनआरआईडीए ने निर्माण के दौरान प्रयुक्त सामग्री और कारीगरी के संबंध में गुणवत्ता आश्वासन अपेक्षाओं पर खरा उत्तरने के लिए सामान्य दिशानिर्देश जारी किए हैं और गुणवत्ता आश्वासन नियमावलियां निर्धारित की हैं। गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के दूसरे और तीसरे स्तर के तहत स्वतंत्र मॉनीटरों द्वारा कार्यों के निरीक्षण के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। निरीक्षणों को विश्वसनीय बनाने के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दूसरे और तीसरे स्तर पर स्वतंत्र मॉनीटर, प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए कम से कम 10 जियो—मुद्रित डिजिटल फोटोग्राफ जरूर लें जिनमें से एक फोटोग्राफ प्रयोगशाला का हो और ये फोटोग्राफ्स ओएमएमएस वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं ताकि इस कार्यक्रम के तहत पूरे किए जाने वाले सङ्क कार्यों की गुणवत्ता को आम जनता द्वारा सुगमता से देखा जा सके। प्राप्त अनुभव के आधार पर, समय—समय पर इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाती है और इन्हें संशोधित किया जाता है।
- iii. पीआईयू की परिकल्पना निर्माण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के मूल एवं प्राथमिक कार्यों के निर्वहन के लिए गुणवत्ता प्रबंधन के प्रथम टियर के तौर पर की गई है। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के पहले टियर के तहत प्रत्येक पैकेज के लिए ठेकेदार द्वारा स्थापित साइट गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की निगरानी करके इन—हाउस तंत्र के माध्यम से और यह सुनिश्चित करके कि निर्दिष्ट व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय और स्थान पर अनिवार्य परीक्षण किए जाएं, गुणवत्ता मानकों का अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा, यदा—कदा किए जाने वाले परीक्षणों के लिए फील्ड प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्यों में राज्य स्तरीय के साथ जिलों में जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की गई है।
- iv. दूसरे टियर के तहत, राज्य टियर पर गुणवत्ता की स्वतंत्र निगरानी एसआरआरडीए के नियंत्रण में निर्धारित की गई है। एसआरआरडीए मुख्यालय में राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) से यह अपेक्षित है कि वह कार्यान्वयन इकाइयों से अलग राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों (एसक्यूएम) को तैनात करके कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करें। ये एसक्यूएम अपने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निरीक्षण करते हैं और कार्यों के जियो—संदर्भित फोटो के साथ गुणवत्ता ग्रेडिंग के सारांश को ओएमएमएस पर अपलोड करते हैं। ये राज्य गुणवत्ता मॉनीटर फील्ड प्रयोगशालाओं की स्थापना की भी जांच करते हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, यह प्रयास रहता है कि राज्य गुणवत्ता मॉनीटर (एसक्यूएम) द्वारा प्रत्येक सङ्क कार्य का निरीक्षण कम से कम तीन महीने के अंतराल पर तब किए जाने चाहिए जब काम चल रहा हो और अंतिम निरीक्षण काम पूरा होने के बाद जल्द से जल्द



लेकिन अधिमानतः काम पूरा होने के 4 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। वर्ष 2020–21 के दौरान, निरीक्षणों के लिए 24,200 के लक्ष्य के मुकाबले एसक्यूएम द्वारा कुल 27,826 निरीक्षण किए गए जो कि लक्ष्य का 115% है। चालू पूरे हो चुके, रखरखाव श्रेणी के सङ्क कार्यों एवं पुल परियोजनाओं को मिलाकर एसक्यूएम निरीक्षणों के आधार पर परियोजनाओं का गुणवत्ता व्यौरा आगे दिया गया हैः—



- v. गुणवत्ता तंत्र का तीसरा स्तर एनआरआईडीए द्वारा केंद्रीय स्तर पर संचालित होने वाला स्वतंत्र निगरानी तंत्र है। तीसरे स्तर की गुणवत्ता तंत्र का उद्देश्य राज्यों द्वारा पूरे किए गए सङ्क कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए सङ्क कार्य मानकों के अनुरूप हों और यह भी परखा जा सके कि राज्यों में गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र प्रभावी हो। इस स्तर की भूमिका राज्य कार्यान्वयन मशीनरी और फील्ड इंजीनियरों को मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस स्तर के तहत, सेवानिवृत्त वरिष्ठ इंजीनियर जिन्हें राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) कहा जाता है, सङ्क कार्यों के निरीक्षणों हेतु काम पर रखे जाते हैं। निरीक्षण के लिए निर्माण कार्यों को औचक रूप से चुना जाता है। इस स्तर का मूल उद्देश्य राज्य के गुणवत्ता आश्वासन तंत्र में पद्धति गत मुद्दों को चिह्नित करना और विनिर्देशों और अच्छे निर्माण व्यवहारों की बेहतर समझ के संबंध में फील्ड स्टाफ को साइट मार्गदर्शन प्रदान करना है। वर्ष 2020–21 के दौरान, 5,940 के लक्ष्य के मुकाबले एनक्यूएम द्वारा कुल 2,653 निरीक्षण किए गए। कम निरीक्षण किए जाने का कारण कोविड –19 महामारी रहा है। चालू पूरे हो चुके, रखरखाव श्रेणी के सङ्क कार्यों एवं पुल परियोजनाओं को मिलाकर एनक्यूएम निरीक्षणों के आधार पर परियोजनाओं का गुणवत्ता व्यौरा आगे दिया गया हैः



vi. राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनके फील्ड निरीक्षणों के दौरान एनक्यूएम द्वारा 'संतोषजनक' लेकिन सुधार की आवश्यकता (एसआरआई) और 'असंतोषजनक (यू)' के रूप में वर्गीकृत निर्माण कार्यों के संबंध में 'कार्वाई रिपोर्ट (एटीआर)' भेजें। 'कार्वाई रिपोर्ट (एटीआर)' पर आगे एनआरआईडीए में काम किया जाता है और श्रेणी में सुधार के बारे में निर्णय, सङ्क कार्य की फोटोज़ और एसक्यूएम द्वारा मौके पर सत्यापन के आधार पर एसआरआरडीए की सिफारिशों सहित दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर लिया जाता है।

vii. वर्ष 2020–21 की अवधि दौरान कार्वाई रिपोर्ट (एटीआर) की स्थिति निम्नलिखित है:—

1.4.2020 को राज्यों में लंबित एटीआर	वित्त वर्ष 20–21 के दौरान तैयार की गई एटीआर	31.03.21 को प्रस्तुत किए जाने के लिए कुल एटीआर	वित्त वर्ष 20–21 के दौरान प्रस्तुत की गई एटीआर	वित्त वर्ष 20–21 के दौरान स्वीकार की गई एटीआर	31.3.2021 को राज्यों में लंबित एटीआर
1489	320	1809	774	694	341

5.(क) गुणवत्ता आश्वासन क्रियाविधि के तीसरे टियर का सुदृढ़ीकरण

स्वतंत्र चयन समिति जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (आरडी) की अध्यक्षता में प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों/संगठनों के शामिल 8 व्यावसायिक सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर 2020–21 के दौरान 49 नए एनक्यूएम को सूचीबद्ध किया गया है।

नए राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों का पैनलबद्ध किया जाना

i. 4 जनवरी, 2021 को आयोजित चयन समिति की 25वीं बैठक

उम्मीदवारों के कार्य-अनुभव विवरणों की संवीक्षा के बाद समिति ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर के रूप में नामिकायन के लिए 59 उम्मीदवारों की सिफारिश की। इन 59 उम्मादवारों में से 49 ने अनिवार्य तीन दिवसीय अभियुक्तीकरण कार्यक्रम पूरा किया और एनक्यूएम के रूप में कार्यभार संभाल लिया।




मौजूदा राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों (एनक्यूएम) के कार्य–निष्पादन की समीक्षा:

एनक्यूएम व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त बनाए रखने की दृष्टि से इंजीनियरिंग कॉलेजों के वरिष्ठ प्रोफेसरों जो प्रधान/राज्य तकनीकी एजेंसियों (पीटीए/एसटीए) के रूप में कार्यक्रम से जुड़े हैं, की सदस्यता वाली निष्पादन मूल्यांकन समिति (पीईसी) के माध्यम से मौजूदा एनक्यूएम के कार्य–निष्पादन का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है। पीईसी निर्धारित मानदंडों के आधार पर एनक्यूएम की रिपोर्टों का मूल्यांकन करता है और इन पर अपनी अभ्युक्तियां देती हैं और इनका वर्गीकरण करती है। इन अभ्युक्तियों को चयन समिति के समक्ष उनकी सिफारिशों के लिए रखा गया है।

5.(ख) गुणवत्ता आश्वासन क्रियाविधि के दूसरे टियर का सुदृढ़ीकरण

2020–21 में नामिकागत एसक्यूएम की संख्या 1192 है। एसक्यूएम की संवर्धित संख्या के साथ दूसरे टियर के तहत निरीक्षणों की संख्या वर्ष 2013–14 में 21,113 से सतत रूप से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 27,826 एसक्यूएम निरीक्षणों तक पहुंच गई है, जिसे नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है (2019–20 की तुलना में 2020–21 में कम संख्यान कोविड –19 के कारण रही)।

एसक्यूएम निरीक्षणों में आवधिक बढ़ौतरी दर्शाता ग्राफ



स्रोत: www.omms.nic.in

मौजूदा राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों (एसक्यूएम) के निष्पादन की समीक्षा

सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि वे निष्पादन मूल्यांकन समिति द्वारा एसक्यूएम का आवधिक निष्पादन मूल्यांकन शुरू करें। तदनुसार, जिन एसक्यूएम के निष्पादन को असंतोषजनक के रूप में रिपोर्ट किया जाए, उन्हें संबंधित राज्यों द्वारा नामित सूची से हटा दिया जाए।

5(ग) पीएमजीएसवाई परियोजनाओं पर नागरिकों की प्रतिक्रिया के लिए मोबाइल एप्लिकेशन "मेरी सड़क"

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी ने ई–गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20 जुलाई, 2015 को "मेरी सड़क" नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। मोबाइल एप्लिकेशन नागरिकों को ओएमएमएस में भू–संदर्भित तस्वीरों के साथ पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के बारे में अपनी प्रतिक्रिया/शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है।

मोबाइल एप्लिकेशन "मेरी सड़क" को गूगल प्ले स्टोर से और पीएमजीएसवाई की कार्यक्रम वेबसाइट यानी omms-nic-in से भी मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। यह मोबाइल ऐप अंग्रेजी के अलावा हिंदी और उड़िया में भी उपलब्ध है।



फीडबैक/शिकायत को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर, नागरिकों को अपने मोबाइल पर एक विशिष्ट फीडबैक नंबर प्राप्त होता है जो उन्हें अपनी शिकायत के निवारण की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

संबंधित राज्यों के राज्य गुणवत्ता समन्वयकों (एसक्यूसी) को इस एप्लिकेशन के माध्यम से फीडबैक/शिकायतों को संभालने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। शिकायत/फीडबैक प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर नागरिकों को अंतरिम प्रतिक्रिया दी जाती है और 60 दिनों की अवधि के भीतर अंतिम कार्रवाई की जाती है।

मोबाइल ऐप ने जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की है और 31 मार्च, 2021 तक 11.19 लाख लोगों ने इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है। 2020–21 के दौरान मेरी सङ्क घर पर 38,264 नए यूजरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान मेरी सङ्क मोबाइल/वेब एप्लीकेशन के माध्यम से कुल 9,942 सुझाव/शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से पीएमजीएसवाई से संबंधित 3,130 सुझाव/शिकायतें आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई और शेष 6,812, शिकायतकर्ताओं को वापस कर दी गई क्योंकि उनके सुझाव/शिकायत पीएमजीएसवाई से संबंधित नहीं थे। कुल 3,130 स्वीकृत सुझावों/शिकायतों में से, 2,798 शिकायतों का अंतिम उत्तर और शेष 299 के लिए अंतरिम उत्तर 31 मार्च, 2021 तक शिकायतकर्ताओं को प्रदान किया गया है।

6. मॉनीटरिंग एवं प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस)

6.1 ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस)

पीएमजीएसवाई के लिए पूरे कार्यक्रम की निगरानी प्रभावी ढंग से करने और अधिक दक्षता, जवाबदेही और कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) का प्रावधान किया गया है। यह प्रणाली omms-nic-in वेबसाइट यूआरएल पर उपलब्ध है।

ओएमएमएएस 2.0— ओएमएमएएस एप्लिकेशन की अवधि और उपयोग को ध्यान में रखते हुए और उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर संचालन के स्तर में परिवर्तन और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नवीनतम विकास को देखते हुए, ओएमएमएएस में समय—समय पर सुधार और संशोधन किया जाता है। आएमएमएएस 2.0 को डेटा को मॉड्यूल वार एक पठनीय और विश्लेषण करने में आसान प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया जाता है।

ओएमएमएएस 2.0 की विशेषताएं

- **प्रौद्योगिकी में उन्नयन—**ओएमएमएएस 2-0 आर्किटेक्चर में एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ, SQL सर्वर रिपोर्टिंग सेवाएँ, सुरक्षा उन्नयन आदि में, ASP-NET फ्रेमवर्क 4.5 से -NET MVC 4.0 तक एक प्रौद्योगिकी उन्नयन है।
- **जेनेरिक डिजाइन—**विभिन्न किस्म की निधियों (कार्यक्रम निधि, प्रशासनिक खर्च निधि, अनुरक्षण निधि) का लेखा—जोखा रखने के लिए जेनेरिक डिजाइन। रोकड़ बही को एजेंसी—अनुसार और स्ट्रीम—अनुसार रखा जा सकता है। एक जैसी योजनाओं के लेखों के रखरखाव के लिए इस प्रणाली का आसानी से विस्तार किया जा सकता है।
- **सुरक्षा—**आजकल सुरक्षा प्राथमिक फोकस होने के कारण, ओएमएमएएस 2-0 को एन्क्रिप्शन, यूआरएल छेड़छाड़ और सत्र हाईजेक पर विचार करने वाले उद्योग मानकों के अनुसार बढ़ी हुई सुरक्षा के साथ विकसित किया गया है। पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिद्म का उपयोग करके डबल एन्क्रिप्टेड है— लंबाई और सामर्थ्य के संबंध में पासवर्ड नीति लागू की जाती है।



- **होम पेज का विस्तार** – ओएमएमएस होम पेज पर पीएमजीएसवाई योजना का सिंहावलोकन दर्शाया गया है, जिसमें स्वीकृति, वास्तविक प्रगति और वित्तीय व्यय की जानकारी प्रदान की जाती है।
- **विकल्प सूची (मेन्यू) का विस्तार** – निर्दिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार उपयोगकर्ता प्रबंधक मॉड्यूल द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले विकल्प सूची (मेन्यू) उपलब्ध है। कई भूमिकाओं को संभालने वाले उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए, OMMAS 2.0 एक एकल उपयोगकर्ता को कई भूमिकाएँ प्रदान करने में सक्षम है और उपयोगकर्ता आसानी से लॉगिन करने के बाद एक भूमिका से दूसरी भूमिका में स्विच कर सकता है।
- **अधिकार—प्राप्त समिति के लिए ब्रीफ** – OMMAS 2.0 के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति हेतु वेब आधारित ब्रीफ तैयार किया जाता है, जिसमें इस योजना के अंतर्गत दी गई स्वीकृतियों, वास्तविक प्रगति, वित्तीय प्रगति, गुणवत्ता निरीक्षण के साथ—साथ वर्तमान प्रस्तावों की सङ्केतन—वार स्थिति के पुराने आंकड़े देखे जा सकते हैं।
- **ओएमएमएस में ई—भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन** – ओएमएमएस का ई—भुगतान मॉड्यूल जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों को यह सुविधा प्रदान करता है कि वे सुगम और सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ठेकेदार को भुगतान कर सकें। इस प्रणाली में एक बार ई—भुगतान विवरण दर्ज किए जाने और इसे अंतिम रूप देने के बाद, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से ई—भुगतान का निर्देश सुरक्षित प्रारूप में प्रत्यायित बैंक को सीधे जाता है और बैंक तत्क्षण ही उस निर्देश के आधार पर ठेकेदार के खाते में राशि अंतरित कर सकता है।
- **जियो पीएमजीएसवाई मोबाइल ऐप** – जियो पीएमजीएसवाई मोबाइल ऐप कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों को पीएमजीएसवाई परिसंपत्तियों को जियो—टैग करने में सक्षम बनाता है। वास्तविक प्रगति, प्रयोगशाला तस्वीरें और परिसर का सर्वेक्षण इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।
- **आकांक्षी जिलों के लिए पीएमजीएसवाई योजना की निगरानी** – पूरी की गई लंबाई और जोड़ी गई बसावटों के संदर्भ में वास्तविक प्रगति की अलग से निगरानी की जाती है।
- **ओएमएमएस में डिजिटल हस्ताक्षर का कार्यान्वयन** – बैंकों को अधिक विश्वसनीय और दक्ष तरीके से भुगतान संबंधी सूचनाएं भेजने और ओएमएमएस पर अपलोड किए गए आंकड़ों की प्रामाणिकता मजबूत बनाने के लिए, ई—भुगतान मॉड्यूल में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी), जिसका इस्तेमाल राज्यों द्वारा ई—भुगतान मॉड्यूल के माध्यम से भुगतान करने के लिए किया जाना चाहिए।
- **गुणवत्ता निगरानी मोबाइल एप्लिकेशन सुविधा** लंबे स्पैन वाले पुलों के निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता मॉनीटरों के साथ—साथ सभी राज्यों के राज्य स्तरीय गुणवत्ता मॉनीटरों तक उपलब्ध कराया जाता है।
- **भूमिका पर आधारित डैशबोर्ड** – ओएमएमएस आंकड़ों को विभिन्न प्रयोक्ता को उनकी भूमिका के आधार पर एक पठनीय और सरलता से विश्लेषित किए जा सकने वाले प्रारूप में मॉड्यूल—वार प्रस्तुत करता है।
- **सरल प्रचालन के साथ इन—पेज कार्य—प्रचालकता—प्रचालन** में सरलता की दृष्टि से सभी मॉड्यूलों की संरचना इस प्रकार की गई है कि पेज में ही सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध हो जाएं; अन्य रिकार्डों के विवरण देखने के लिए भी पेज से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती। निर्दिष्ट भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के अनुसार प्रयोक्ता, जिससे वे आसानी से एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में आ—जा सकें, के लिए, मेन्यू उपलब्ध रहते हैं।



ओएमएएस में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के लिए सड़क संपर्कता परियोजनायोजना का प्रावधान –

1. आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश 9 राज्यों में लागू की जा रही "वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए)" योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए ओएमएएस को सक्षम किया गया है।
2. ओएमएएस में आरसीपीएलडब्ल्यूईए योजना शामिल करने के लिए, डीआरआरपी, कोर नेटवर्क, प्रस्ताव, अनुबंध और प्राप्तियां एवं भुगतान मॉड्यूलों को समुचित तरीके से संशोधित किया गया है।

अन्य एप्लिकेशन्स के साथ ओएमएएस का एकीकरण –

- **दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समितियां)** : परियोजना आंकड़े, एनएसपी चरण प्रोफाइल आंकड़े, लंबित स्वीकृत कार्य, राज्य वार सारणी ग्रेडिंग स्वीकृत आवासीय क्षेत्र, लक्षित आवासीय क्षेत्र के आंकड़े दिशा अनुप्रयोग पर उपलब्ध करवाने हेतु।
- **ग्रामीण डैशबोर्ड** : डीओआरडी अनुप्रयोग जिसमें ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं के लिए एक एकल डैशबोर्ड विकसित किया गया है, पर पीएमजीएसवाई के आंकड़े उपलब्ध करवाने हेतु।
- **सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)**: पीएफएमएस के साथ ओएमएएस एप्लिकेशन का एकीकरण जिससे डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित भुगतान फाइल सृजित करने की कार्य क्षमता प्रदान करती है। पीएमजीएसवाई में सभी भुगतान पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। ओएमएएस के माध्यम से किए गए भुगतानों का सारांश डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहता है। पीएफएमएस का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मॉड्यूल, जिसका उपयोग भुगतान करने के लिए किया जा रहा था, की कुछ सीमाएं हैं क्योंकि यह व्यय, अग्रिम, कटौती और हस्तांतरण के बीच अंतर नहीं करता है बल्कि इसके बजाय सभी लेनदेन को व्यय के रूप में मानता है जिसके परिणामस्वरूप अस्पष्ट रिपोर्टिंग होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए, एनआरआईडीए को पीएफएमएस के डीबीटी से आरईएटी मॉड्यूल में माइग्रेट करने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, मई, 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ आरईएटी मॉड्यूल का परीक्षण शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में सफल परीक्षण के बाद, वित्तीय वर्ष 2020–21 में सभी राज्यों में आरईएटी मॉड्यूल लागू कर दिया गया है।
- **ईमार्ग:** ओएमएएस का ईमार्ग से एकीकरण किया गया है जिसमें पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों को दोष देयता अवधि (डीएलपी) रखरखाव भुगतान की प्रोसेसिंग के लिए ईमार्ग में भेजा जाता है और खातों और बैलेंस शीट के रखरखाव के लिए व्यय को ईमार्ग से ओएमएएस में वापस लिया जाता है।
- **प्रयास दर्पण:** जिला स्तरीय केपीआई निगरानी के लिए दर्पण पोर्टल से एकीकरण जिसका प्रबंधन एनआईसी द्वारा किया जाता है।
- **जेपनिक:** केंद्रीकृत निविदाकरण के लिए एनआईसी के जेपनिक पोर्टल से एकीकरण। स्वीकृत पैकेजों को ओएमएएस से जेपनिक में भेजा जाता है और निविदा गतिविधियों के पूरा होने पर वापस ले लिया जाता है। इससे उन चरणों जिसके तहत काम किए जाते हैं, को तत्काल देखने की अनुमति मिलती है।
- **पीएमजीएसवाई-II के लिए प्राथमिकता मैट्रिक्स** – एसआरआरडीए लॉगइन के तहत विकास स्कोर मैट्रिक्स सृजित करने की सुविधा प्रदान की जाती है जिसे उन जिलों को असाइन किया जा सकता है जिन पर ये लागू होते हों। विकास स्कोर का पीएमजीएसवाई-II के तहत



आवासीय क्षेत्रों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मैट्रिक्स पहले से निर्धारित मानदंडों पर आधारित है।

- **लेखांकन कार्वाई रिपोर्ट (एटीआर) मॉड्यूल** – लेखांकन कार्वाई रिपोर्ट (एटीआर) मॉड्यूल के माध्यम से एसआरआरडीए बैलेंस शीट के बारे में एनआरआईडीए अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों/फीडबैक को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने की सुविधा प्रदान की जाती है। एसआरआरडीए बैलेंस शीट पर फीडबैक देते हुए एनआरआईडीए इसके बारे में दस्तावेजों को भी अपलोड करता है। एनआरआईडीए द्वारा प्रस्तुत फीडबैक पर एसआरआरडीए सुधारात्मक कार्वाई कर सकते हैं और इस मॉड्यूल के माध्यम से एनआरआईडीए को ऑनलाइन प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं।

6.2 परियोजना प्रबंधन सूचना तंत्र (पीएमआईएस)

- पीएमआईएस एक मॉड्यूल है जिसका उद्देश्य अनुशासित ट्रैकिंग और निगरानी के लिए पीएमजीएसवाई के तहत सङ्कों के निर्माण/उन्नयन के लिए एक परियोजना प्रबंधन पद्धति लाने के लिए है। इस मॉड्यूल के तहत, पीआईयू कर्मचारी पूरा करने के लिए सौंपे गए अपने कार्यों के लिए परियोजना योजनाओं (समयसीमा के साथ) को परिभाषित करने में सक्षम हैं। जैसे ही योजना तैयार हो जाती है और इसे अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाता है, पीआईयू को नियोजित गतिविधियों के संबंध में लगातार प्रगति की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। ट्रैकिंग मूल योजना के प्रति समग्र प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराएगी और विलम्ब किए बिना काम को पूरा करने के लिए कोई भी सुधारात्मक कार्वाई की जा सकती है। दिनांक 17–01–2021 तक, पहले से चल रहे 6,122 कार्यों में से 5,092 (83%) कार्यों के लिए योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

पीएमआईएस की विशेषताएं

- पीआईयू कर्मचारी दिए गए कार्यों के लिए परियोजना योजनाओं (समयसीमा के साथ) को परिभाषित करता है
- जैसे ही योजना तैयार हो जाती है और इसे अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाता है, पीआईयू को नियोजित गतिविधियों के संबंध में लगातार प्रगति की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।
- गैंट चार्ट और रिपोर्ट के माध्यम से प्रगति को ट्रैक किया जा सकता है।
- ट्रैकिंग मूल योजना के प्रति समग्र प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराएगी और विलम्ब किए बिना काम को पूरा करने के लिए कोई भी सुधारात्मक कार्वाई की जा सकती है।

6.3 पीएमजीएसवाई–III: पीएमजीएसवाई–III की वस्तु–सूची (इन्चेंट्री), योजना से स्वीकृति तक शूरू से अंत तक प्रणाली जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सुविधा मॉड्यूल–जियोपीएमजीएसवाई एप्लिकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण की गई सभी सुविधाओं को देखना और अंतिम रूप देना
- संभावित सङ्क प्रविष्टि: पीएमजीएसवाई–III के लिए टीआर/एमआरएल की प्रणालीगत प्रविष्टि
- जियो टैगड पीसीआई प्रविष्टि: पीसीआई के लिए जियो–टैगड पिक्चर्स चेनेज अपलोड करना
- सीयूसीपीएल का प्रणाली सृजन: उपयोगिता मानों और प्राथमिकता सूची का स्वतः सृजन
- प्रस्ताव प्रविष्टि और विश्लेषण मॉड्यूल: प्राथमिकताओं को बनाए रखने के लिए सीयूसीपीएल के साथ जोड़ा गया प्रस्ताव मॉड्यूल।



- पीएमजीएसवाई—III के लिए मौजूदा मॉड्यूल में वृद्धि नामतः
 - डीआरआरपी
 - संभावित सड़क
 - प्रस्ताव
 - अनुबंध
 - निष्पादन
 - प्रारंभिक भुगतान
- पीएमजीएसवाई—III का नया मॉड्यूल विकसित करना
 - सुविधा मैपिंग
 - ट्रेस मैप
 - पीएमजीएसवाई—III के लिए सीयूसीपीएल का सृजन

6.4 जियोपीएमजीएसवाई मोबाइल ऐप: पीएमजीएसवाई—III सुविधाओं के भू-टैग्ड (जियो टैग्ड) सर्वेक्षण की अनुमति के लिए मोबाइल एप्लिकेशन को अपडेट किया। 7.7 लाख ग्रामीण सुविधाओं का सर्वेक्षण किया जा चुका है और जियो ने टैग किया जैसे कि:

- चिकित्सा सुविधाएं
 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
 - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
 - शाय्यायुक्त चिकित्सालय
 - पशु चिकित्सालय
- शैक्षिक सुविधाएं
 - हाई स्कूल
 - उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / महिला हाई स्कूल / आईटीआई
 - महाविद्यालय
- विपणन सुविधाएं
 - मंडी / ग्रामीण एएमएस / ग्राम नगरी वृद्धि क्लस्टर
 - भंडारगृह / कोलस्टोरेज / चीनी मिलें / कृषि उद्योग
 - संग्रहण केन्द्र या पार्कगृह
- परिवहन सुविधाएं
 - बस अड्डा
- अन्य सुविधाएं
 - बैंक
 - प्रशासनिक केन्द्र (ब्लॉक, पंचायत मुख्यालय आदि)

6.5 खातों का स्वतः बंद होना – ओएमएमएस के तहत खातों के अद्यतनीकरण को सुव्यवस्थित करने और खातों को समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए खातों का स्वतः बंद होना क्रियान्वित किया जाता है। प्रत्येक महीने की 5वीं तारीख को, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) के पिछले माह के खाते स्वतः ही बंद हो जाते हैं और यदि अनंतिम वाउचरों के कारण किसी पीआईयू के खाते बंद नहीं किए जाते हैं, तो इनकी सूची एनआरआईडीए को प्रतिलिपि के साथ संबंधित राज्य



की राज्य ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसी (एसआरआरडीए) को प्रेषित की जानी है। इसी प्रकार हर महीने की एसआरआरडीए के खाते 10वीं तारीख को स्वतः बंद हो जाते हैं और लंबित खातों, यदि कोई हों, की सूची एनआरआईडीए को प्रतिलिपि के साथ संबंधित एसआरआरडीए को प्रेषित की जाती है।

6.6 निधि स्थिति निगरानी रिपोर्ट – ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी निधि की स्थिति जानने के लिए निधि स्थिति निगरानी रिपोर्ट विकसित की गई है। इस रिपोर्ट में संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सभी राज्यों को प्राप्त निधि, व्यय, जमा आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध रहती है।

6.7 विडियो कॉन्फ्रेन्स सेटअप

एनआरआईडीए में एक नई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित की गई है और कुल 28 सिस्कोवेबेक्स लाइसेंस भी प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से 25 लाइसेंस, अपने संबंधित पीआईयू के साथ पीएमजीएसवाई योजनाओं की निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य ग्रामीण सङ्क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) को, जारी किए गए थे। राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। इन समीक्षा बैठकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनआरआईडीए और राज्यों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की गई थी।

6.8 पारदर्शिता और नागरिक निगरानी

क. मेरी सङ्क मोबाइल एप्लीकेशन—यह नागरिकों को ओएमएमएस में भू-संदर्भित तस्वीरों के साथ पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के बारे में अपनी प्रतिक्रिया/शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। मोबाइल एप्लिकेशन “मेरी सङ्क” को गूगल प्ले स्टोर से और पीएमजीएसवाई की कार्यक्रम वेबसाइट यानी omms-nic-in से भी मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। फीडबैक/शिकायत को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर, नागरिकों को उनके मोबाइल पर एक विशिष्ट फीडबैक नंबर प्राप्त होता है जो उन्हें अपनी शिकायत के निवारण की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। संबंधित राज्यों के राज्य गुणवत्ता समन्वयकों (एसक्यूसी) को इस एप्लिकेशन के माध्यम से फीडबैक/शिकायतों को संभालने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। शिकायत/फीडबैक प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर नागरिकों को अंतरिम प्रतिक्रिया दी जाती है और 60 दिनों की अवधि के भीतर अंतिम कार्रवाई की जाती है।

मोबाइल ऐप ने जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की है और 31.03.2021 तक 11.19 लाख लोगों ने इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है। 2020–21 के दौरान मेरी सङ्क पर 38,264 नए यूजर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान मेरी सङ्क मोबाइल/वेब एप्लीकेशन के माध्यम से कुल 9,942 सुझाव/शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से पीएमजीएसवाई से संबंधित 3,130 सुझाव/शिकायतें आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गईं और शेष 6,812 शिकायतकर्ताओं को वापस कर दी गई क्योंकि उनके सुझाव/शिकायत पीएमजीएसवाई से संबंधित नहीं थे। कुल 3,130 स्वीकृत सुझावों/शिकायतों में से, 2,798 शिकायतों का अंतिम उत्तर और शेष 299 के लिए अंतरिम उत्तर 31 मार्च, 2021 तक शिकायतकर्ताओं को प्रदान किया गया है।

ख. केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स)

केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स), जो <http://pgportal-gov-in> के माध्यम से उपलब्ध है, कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जमीनी स्तर पर प्रभावी और समयबद्ध निगरानी और क्रियान्वयन के लिए नागरिकों के साथ दोतरफा संचार को मजबूत करने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण साधन है।



ग्रामीण विकास मंत्रालय से सीपीग्राम्स पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति की एनआरआईडीए द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और अंततः आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित एसआरआरडीए को अग्रेषित की जाती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि गुणवत्ता पहलुओं से समझौता किए बिना इन शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए। कार्यक्रमों/योजनाओं और प्रशासनिक गतिविधियों से संबंधित अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए इस पोर्टल के उपयोग के लिए नागरिकों का स्वागत है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 की शुरुआत में 89 शिकायतें लंबित थीं और वर्ष 2020–21 के दौरान सीपीग्राम पोर्टल के माध्यम से 1060 शिकायतें प्राप्त की हुई हैं। संबंधित राज्यों से प्राप्त कार्रवाई रिपोर्टें (एटीआर) के आधार पर कुल 1149 शिकायतों में से 31 मार्च 2021 तक 1087 का निपटारा किया गया।

6.9 समीक्षा बैठकें

राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए, कौविड महामारी के कारण समीक्षा बैठकें वीडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से आयोजित की गईं। इन समीक्षा बैठकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनआरआईडीए और राज्यों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की गई थी।

6.10 जेपनिक, एनआईसी की सरकारी ई-प्रापण प्रणाली

पीएमजीएसवाई दिशानिर्देश में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पीएमजीएसवाई के तहत ई-बोलियां आमंत्रित करें। इस प्रयोजन के लिए, राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे सभी पीएमजीएसवाई कार्यों के निविदाकरण के लिए डेटाबेस बनाने के लिए www-pmgsytenders-gov-in (GePNIC वेबसाइट) का उपयोग करें।

सरकारी ई-प्रापण प्रणाली (GePNIC) पीएमजीएसवाई ई-निविदाकरण की ई-प्रापण प्रणाली है जो निविदाकारों को निशुल्क निविदा शेड्यूल डाउनलोड और फिर इस पोर्टल के माध्यम से बोली ऑनलाइन जमा करने में सक्षम करता है। यह प्रापण प्रक्रिया के सभी चरणों का प्रचालन करती है। जेपनिक कठिन खरीद प्रक्रिया को मितव्ययी, पारदर्शी और अधिक सुरक्षित प्रणाली में बदलता है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) ई-प्रापण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। डीएससी का उपयोग करके, खरीददारों और बोली दाताओं को मूल/स्रोत, लेनदेन की सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के बारे में आश्वस्त किया जा सकता है। डीएससी भारतीय आईटी अधिनियम के तहत विधिक रूप से अपेक्षित है। जेपनिक को सभी लेन-देन की विस्तृत ऑडिटिंग के लिए व्यापक ऑडिट लॉग सुविधा सहित बनाया गया है। यथा आवश्यक विवरण देखने के प्रावधान सहित ऑडिट लॉग्स सुरक्षित तथा हस्तक्षेप रोधी होते हैं।

जेपनिक के लाभ

निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारियों (टीआईए) के लिए

• प्रत्येक चरण में अनुमोदनों का अद्यतन किया जाना	• अत्यधिक सुरक्षित
• त्वरित एवं कुशल प्रक्रिया, क्रय चक्र समय कम करता है	• अवरोध मुक्त कार्य प्रवाह
• काम पूरा करने में पहले से कम समय	• एमआईएस रिपोर्ट को बेहद कम समय में पुनर्प्राप्त किया जा सकता है



बोली लगाने वालों के लिए

• जानकारी प्रत्येक समय उपलब्ध रहती है	• स्वचालित प्रणाली – सामान और स्टेशनरी लागत में कटौती।
• शीघ्र अलर्ट	• बोलीदाता को सभी विभागों की निविदाओं तक बेहतर पहुंच मिलती है
• परिवर्तनीय; बोली प्रस्तुत किए जाने के बाद भी बदला जा सकता है	• जेपनिक ने बोलीदाताओं को निष्पक्षता और पारदर्शिता के बारे में आश्वस्त किया है

महत्वपूर्ण विशेषताएं—

- सरकारी अधिकारियों और बोलीकर्ताओं का नामांकन
- निविदा निर्माण एवं प्रकाशन
- शुद्धिपत्र का प्रकाशन
- बोली पूर्व दस्तावेजों का प्रकाशन
- प्रकाशित निविदाओं पर स्पष्टीकरण देना
- यथा आवश्यक कई बार ऑनलाइन बोली प्रस्तुत/पुनः प्रस्तुत करना
- बैंक भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान संग्रह की सुविधा
- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली का एक्रिप्शन
- एकल/विविध कवर निविदा प्रणाली की सुविधा
- बोलियां वापस लेना
- निविदा ऑनलाइन खोलना
- बोलीदाताओं के लिए बोली खोलने का प्रत्यक्ष प्रदर्शन
- वित्तीय बोली का स्वचालित मूल्यांकन
- निविदा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में समिति की सिफारिशें अद्यतन करना
- अनुबंध अवार्ड करना (एओसी)
- विभिन्न चरणों में मेल/एसएमएस अलर्ट
- ओपन सोर्स आधारित प्रौद्योगिकियों से निर्मित

2020–21 के दौरान, 26 राज्य/संघ शासित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल, लद्दाख, मध्याय प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तार प्रदेश और पश्चिम बंगाल जेपनिक पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। जबकि केवल छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना पीएमजीएसवाई कार्यों की बोली लगाने के लिए अपने—अपने राज्य के ई—प्रापण पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं।

6.11 पीएमजीएसवाई के तहत वेब आधारित जीआईएस का सृजन

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एनआरआईडीए के माध्यम से 27.10.2015 को पीएमजीएसवाई के तहत वेब आधारित जीआईएस के कार्यान्वयन के लिए 2.95 करोड़ रुपए की कुल लागत के समझौता ज्ञापन पर सी—डैक, पुणे के साथ हस्ताक्षर किए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 राज्यों को 9.68 करोड़ रुपए मंजूर कर डिजिटलीकरण कार्य के लिए राज्यों का मार्गदर्शन किया और वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

वेब जीआईएस में ग्रामीण सड़कों, कोर नेटवर्क सड़कों, आवासीय क्षेत्रों, बाजार केंद्रों, प्रशासनिक मुख्यालयों, जिला/ब्लॉक सीमाओं आदि के विवरण सहित 21 लेयर्स होंगी। पीएमजीएसवाई राष्ट्रीय



जीआईएस में मानचित्र पर सुविधाओं की स्थितिगत सटीकता में सुधार और ओएमएमएएस पर उपलब्ध ग्रामीण सड़क अवसंरचना की राष्ट्रीय स्तर की जानकारी का उपयोग करने पर जोर देने के साथ जीआईएस आंकड़े सृजित करने के प्रयास किए गए हैं। ओएमएमएएस में अपडेट किया गया डेटा तुरंत ही वेब जीआईएस पर दिखाई देगा। छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखण्ड के 10 राज्यों के जीआईएस का माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खदान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा 15.12.2017 को सॉफ्ट लॉन्च किया गया।

मार्च 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के जीआईएस को तैयार वेब जीआईएस पेज पर पीएमजीएसवाई www-pmgsy-grris-nic-in के तहत प्रदर्शित किया जा चुका है और सी—डैक के साथ एमओयू पूर्ण किया जा चुका है और अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। बाद में, पीएमजीएसवाई—I और II के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य वेब जीआईएस एप्लिकेशन (जीआरआरआईएस) में शामिल कर लिए गए हैं।

पीएमजीएसवाई—III में मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के उन्नयन द्वारा समेकन की परिकल्पना की गई है, जो मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ मौजूदा मार्गों और प्रमुख ग्रामीण लिंक जो ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से बस्तियों को जोड़ते हैं।

इसके अलावा कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं के लिए जीआईएस आंकड़ों को प्रबंधित, संपादित और उपयोग करने के लिए लॉगिन—आधारित लेन देन प्रणाली जियोसड़क वेबसाइट के लिए अगस्त 2019 में सी—डैक से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहले से ही एकत्रित जीआईएस डेटा को प्रदर्शित करने के अलावा, यह राज्य और जिला अधिकारियों को वेबसाइट के भीतर सुधार के लिए जीआईएस डेटा प्रबंधित करने और अपडेट करने की अनुमति देगा।

पीएमजीएसवाई राष्ट्रीय जीआईएस (जियोसड़क) के लिए ऑनलाइन भू—स्थानिक लेनदेन प्रणाली (<https://geosadak-pmgsy.inc.in>) को सफलतापूर्वक विकसित और परिनियोजित किया गया है। पीएमजीएसवाई—III के लिए फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया जियो सड़क जीआईएस आधारित एप्लिकेशन वास्तविक समय में भू—स्थानिक डेटा का मिलान, प्रबंधन, ऑनलाइन स्थानिक डेटा गुणवत्ता रिपोर्ट, संपादन और सेवा प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रणाली का उपयोग सभी राज्य सरकार के विभागों और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नए सड़क प्रस्ताव/सड़क संविदा, उन्नयन, अनुवीक्षण और प्रबंधन के लिए किया जाएगा।

31 मार्च 2021 को 4346 प्रस्ताव (सड़क अनुबंध) ऑनलाइन बनाए और स्वीकृत किए गए। जियोसड़क एफओएसएस का उपयोग करते हुए स्वदेशी विकास का परिणाम है, जो इसरो भुवन उपग्रह डेटा सेवा सहित पूरी तरह से स्वदेशी जीआईएस डेटा परतों का उपयोग कर रहा है, जो आत्मानिर्भर भारत के साथ जुड़ा हुआ है।

6.12 ग्रामीण सड़कों में भौगोलिक (जियो) सूचना विज्ञान के उपयोग पर परियोजना

जियो सूचना विज्ञान का उपयोग प्रभावी योजना, निर्णय प्रक्रिया और पीएमजीएसवाई योजना की निगरानी में सहायता कर रहा है। जियो सूचना विज्ञान में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कम्प्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग, सांख्यिकी, जियो प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग,



डिजिटल फोटोग्रामेट्री आदि समाहित है। जटिल योजना, निर्णय लेने और प्रबंधन की समस्याओं को हल करने के लिए पृथकी पर स्थानिक रूप से संदर्भित डेटा के अर्जन, संग्रहण, जांच, एकीकरण, मेनिपुलेशन, विश्लेषण और प्रदर्शन के लिए जीआईएस भू-सूचना विज्ञान और कंप्यूटर से सहायता प्राप्त प्रणाली का प्रमुख घटक है।

इस संबंध में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एनआरएससी) ने महबूब नगर जिला, तेलंगाना राज्य में पीएमजीएसवाई के तहत अवधारणा के प्रमाण का जिम्मा लिया। निर्माण कार्यों की कालिक प्रगति अर्जित करने के लिए विविध समय श्रृंखलाओं में विस्तारित उपग्रह इमेजरियों का प्रभावी उपयोग किया गया। इन सङ्कोचों के संबंध में पीएमजीएसवाई के एमआईएस, ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और खाता प्रणाली (ओएमएमएस) में राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई प्रगति को उपग्रह इमेजरियों की मदद से सत्यापित किया गया। अवधारणा प्रमाण के इस कार्य के आधार पर, मंत्रालय ने दिसंबर 2015 से नवंबर 2016 तक, पांच राज्यों के चयनित 10 जिलों में सीजीएआरडी, एनआईआरडी एवं पीआर के सहयोग से प्रायोगिक परियोजना शुरू की जो कि बहुत अच्छी अंतर्दृष्टि के साथ पूर्ण हुई। इसने पारदर्शिता और जवाबदेही को भी सक्षम किया जिसने आगे पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में एलाइनमेंट को इष्टतम बनाने, गहन निगरानी और समग्र दक्षता प्राप्त में राज्यों की बहुत मदद की। एनआरआईडीए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से एनआरएससी और एनआईआरडी एवं पीआर की सेवाओं को प्राप्त कर देश के सभी जिलों में जियो सूचना विज्ञान के उपयोग को बढ़ाने का इरादा किया। इस संबंध में, “प्रधान मंत्री ग्राम सङ्कोच योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत ग्रामीण सङ्कोच परियोजनाओं में भू-सूचना विज्ञान के उपयोग” पर नई दिल्ली में 7 मार्च, 2017 को निम्नलिखित के मध्य त्रिपक्षीय समझौता किया गया और निष्पादित किया गया:

1. एनआरआईडीए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
2. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), इसरो, अंतरिक्ष विभाग, हैदराबाद, भारत सरकार
3. ग्रामीण विकास में भू-सूचना विज्ञान अनुप्रयोग केंद्र (सीजीएआरडी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडी एवं पीआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, हैदराबाद।

एमओयू को सितंबर, 2020 में संशोधित किया गया था। संसोधित एमओयू के अनुसार इसके मुख्य उद्देश्य हैं: राज्यों द्वारा एमआईएस योजना के संबंध में अर्थात्, रिपोर्ट किए गए एलाइनमेंट के साथ ओएमएमएस की अर्थात् 31 दिसम्बर, 2018 तक नवीन जोड़ी गई (एनसी) बस्तियों के निर्माण की वास्तविक रिपोर्ट और लम्बे स्पैन पुलों (एलएसबी) के निर्माण की वास्तविक प्रगति के सत्यापन की रिपोर्ट के साथ प्रगति की रिपोर्ट की जांच करना।

संगठनों की प्रगति की स्थिति:

एनआरएससी – 2,65,000 कि.मी. के लक्ष्य के प्रति, 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 2,71,013 किमी लंबाई की मैपिंग और ग्राउंड ट्रूथिंग प्राप्त कर ली गई है और 2,71,013 किमी (100%) की लंबाई भुवन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

सीजीएआरडी – 1,70,000 कि.मी. के लक्ष्य के प्रति, आवंटित 14 राज्यों में 1,71,243 किमी लंबाई की मैपिंग और ग्राउंड ट्रूथिंग प्राप्त कर ली गई है और 1,71,243 किमी (100%) की लंबाई भुवन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।



भुवन पोर्टल का विकसित किया जाना:

- परियोजना एनआरआईडीए द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के आधार पर लंबाई के संदर्भ में सड़कों की कनेक्टिविटी स्थिति को निकालने और पहचानने के लिए है और इसमें तैयार सड़कों के तहत जुड़ी बस्तियों के संबंध में सड़क संपर्क पर एक स्थानिक डेटाबेस तैयार करना भी शामिल है।
- इस संबंध में, क्षेत्र और उपग्रह इमेजरी से जुड़ी डेटा सेवाओं के आदान–प्रदान के लिए भुवन वेब पोर्टल को विकसित किया गया है।
- भुवन वेब पोर्टल में सड़क कार्यों की मैपिंग की जाती है, जहां राज्यों को लंबाई और/या बस्तियों की त्रुटियों वाले सड़क कार्यों के लिए टिप्पणियां और सहायक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।

परियोजना की लागत और अब तक किया गया भुगतान

परियोजना की कुल लागत रूपये 11,67,78,162/- है और आज की तारीख तक रूपये 7,80,70,114/- का भुगतान कर दिया गया है।

7. अनुसंधान एवं विकास/ नवीन प्रौद्योगिकी

7.1 नई सामग्रियों/अवशिष्ट सामग्री/स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए ग्रामीण सड़कों के निर्माण में मितव्ययी, स्थानीय रूप से संगत, 'पर्यावरण–मित्र' और तीव्र निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एनआरआईडीए ने मई 2013 में 'प्रौद्योगिकी पहलों पर दिशानिर्देश' जारी किए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे ऐसी नई प्रौद्योगिकियों जिनके लिए भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देश पहले से उपलब्ध हैं का प्रयोग करते हुए वार्षिक प्रस्तावों की कम से कम 10% लंबाई प्रस्तावित करें, और वार्षिक प्रस्तावों में 5% अतिरिक्त लंबाई ऐसी नई प्रौद्योगिकियों के लिए प्रस्तावित करें जिनके लिए आईआरसी द्वारा मान्यता प्राप्त सामग्रियों सहित भारतीय सड़क कांग्रेस के विनिर्देश उपलब्ध नहीं हैं। इन दिशानिर्देशों की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- (i) राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) से परामर्श करके सड़कों और इनमें इस्तेमाल योग्य प्रौद्योगिकी को चिह्नित किया जाना।
- (ii) नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बनाई सड़कों का अन्य पक्ष के माध्यम से कम से कम 18 महीने की अवधि के लिए निष्पादन मूल्यांकन।
- (iii) विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए राज्यों और राज्य तकनीकी एजेंसियों के अधिकारियों का केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली और अन्य प्रमुख तकनीकी एजेंसियों (पीटीए) के माध्यम से प्रशिक्षण।
- (iv) दूसरे एवं तीसरे टियर की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से क्षमता निर्माण।
- (v) स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का जीआईएस प्लेटफॉर्म पर मानचित्रण।
- (vi) बोली–प्रक्रिया दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन
- (vii) नई प्रौद्योगिकियों के लिए नियमावलियां और हैंडआउट्स तैयार करना।
- (viii) नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोक्ताओं के लिए अवार्ड प्रणाली तैयार करना।



7.1.1 नई प्रौद्योगिकियों के लिए पहले : एनआरआईडीए द्वारा नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पहले ही निम्नलिखित पहलों की जा चुकी हैं:

- (i) राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे नियमित प्रस्तावों के साथ प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाओं को भी प्रस्तुत करें। राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा के उपरांत उन्हें तकनीकी प्रदर्शन के लिए अधिकार—प्राप्त समिति को प्रस्तुत किया जाता है।
- (ii) पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण में नई प्रौद्योगिकियों और गैर परंपरागत सामग्रियों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के बाद, मंत्रालय ने 2020–21 के दौरान राज्यों के बीच 16,856 किलोमीटर का वार्षिक लक्ष्य तय कर दिया है। 16,856 किलोमीटर (अनुलग्नक—VIII) की लक्षित लंबाई के प्रति नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए 11,228.44 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। ये प्रौद्योगिकियां पर्यावरण अनुकूल हैं और या तो इनमें अतिरिक्त लागत की आवश्यकता नहीं होती अथवा पारंपरिक डिजाइन से ऊपर बेहद कम अतिरिक्त लागत की आवश्यकता होती है।
- (iii) एनआरआईडीए/मंत्रालय द्वारा पहले से स्वीकृत प्रस्तावों के लिए भी राज्य परंपरागत विधि के बजाय कचरा प्लास्टिक/कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी या किसी अन्य नई प्रौद्योगिकी में बदलने के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं।
- (iv) जहां सीबीआर 3 से कम हो वहां राज्यों से मृदा स्थिरीकरण तकनीकों को अपनाने का अनुरोध किया जाता है और राज्य तकनीकी एजेंसियां यह सुनिश्चित करती हैं कि समुचित मृदा स्थिरीकरण तकनीकें प्रस्तावित की जाएं।
- (v) राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने वार्षिक प्रस्तावों में आईआरसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी सामग्री/प्रौद्योगिकी का प्रयोग में लाने वाली प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करें।
- (vi) कुछ एसटीए से अनुरोध किया गया है कि वे अपशिष्ट प्लास्टिक/कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित सड़कों के जीवन चक्र निष्पादन आकलन करें। भागीदार संगठनों के साथ अध्ययन की देखरेख के लिए आईआईटी, चेन्नई को प्रधान एजेंसी के रूप में चिह्नित किया गया है।

7.1.2 नई प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाएं

राज्यों को ऐसी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाएं प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनमें जूट या कोयर, कोल्ड इमल्शन का इस्तेमाल करके कोल्ड मिक्स, सतह निर्माण, फ्लाई ऐश, स्टील तथा आयरन स्लेग, स्थिरीकरण एजेंट के रूप में चूने तथा सीमेंट का उपयोग तथा आईआरसी द्वारा मान्यता प्राप्त नई सामग्रियां उपयोग में लाई जा रही हैं। पूर्ण गहराई सुधार प्रक्रिया (एफडीआर), पैनलयुक्त सीमेंट कंक्रीट, सेल भरा कंक्रीट आदि। नई प्रौद्योगिकी पहलों पर मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद कई राज्यों से विविध नई प्रौद्योगिकियों को इस्तेमाल में लाने वाले परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान, अधिकार—प्राप्त समिति की सिफारिशों पर, मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई-II, पीएमजीएसवाई-III तथा आरसीपीएलडब्ल्यूई के तहत 19,075.60 किलोमीटर नई प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राज्य वार विवरण अनुलग्नक IX में दिया गया है।



7.2 जीआईएस प्लेट फार्म पर छिटपुट सामग्री का मानचित्रण

अपशिष्ट सामग्री सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री की जीआईएस प्लेटफार्म पर मैपिंग के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को एक परियोजना सौंपी गई है। परियोजना को एनआरआईडीए द्वारा वित्त पोषित किया गया है और इसे शुरुआत में संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से बिहार और मध्य प्रदेश के दो—दो जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने रिपोर्ट जमा कर दी है। मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों से अंतिम रिपोर्ट पीआईयू से साझा करने का अनुरोध किया गया है ताकि ग्रामीण सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाना शुरू किया जा सके।

7.3 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत अनुसंधान एवं विकास पहलों के लिए दिशानिर्देश: पीएमजीएसवाई के तहत वित्त पोषण के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति और एनआरआईडीए में उनके मूल्यांकन के संबंध में दिशानिर्देशों को एनआरआईडीए की स्थायी सलाहकार समिति द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है। पीएमजीएसवाई के तहत एसटीए/पीटीए/किसी भी अन्य संगठन द्वारा अनुसंधान एवं विकास प्रस्तुत किए जाने संबंधी प्रारूप और 6 महीने तक प्राप्त की जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्टों के साथ—साथ अंतिम परियोजना समापन रिपोर्ट के प्रारूपों को भी उक्त स्थायी सलाहकार समिति ने अंतिम रूप दिया है। “अपशिष्ट प्लास्टिक और कोल्ड बिटुमिनस मिक्स से निर्मित ग्रामीण सड़कों के निष्पादन मूल्यांकन” से संबंधित परियोजना प्रस्तावों को सितंबर, 2019 में स्वीकृति दी गई थी। आईआईटी, चेन्नई परियोजनाओं का समन्वय कर रहा है। कुल 10 आईआईटी/एनआईटी और अन्य सरकारी संस्थान परियोजना में शामिल हैं। 291.20 लाख की लागत से, परियोजना 15 सितंबर 2019 को शुरू कर दी गई है और परियोजना की अवधि 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

8. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

8.1 विश्व बैंक से सहायता—प्राप्त परियोजनाएं: —

- क. **ग्रामीण सड़क परियोजना—II (आरआरपी—II)**—पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़क परियोजना—II को विश्व बैंक के वित्तपोषण के माध्यम से 2011 में लागू किया गया था। यह परियोजना 8 राज्यों (बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश) में लागू की गई और कुल परिव्यय 1400 मिलियन अमरीकी डालर था। यह कार्यक्रम सेक्टर—वार दृष्टिकोण पर आधारित है। परियोजना की अवधि 2011 से जून 2017 तक थी। कार्यक्रम के दो घटक हैं:—
- कार्यक्रम वित्तीय सहायता — 1,375 मिलियन अमरीकी डालर।
 - संस्थागत सुदृढ़ीकरण — 25 मिलियन अमरीकी डालर।



ख. 14 जनवरी 2011 को विश्व बैंक से 1.4 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत सरकार की हिस्सेदारी सहित परियोजना का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र सं	राज्य	संशोधित आवंटन (मिलियन अमरीकी डालर)	कुल		31 मार्च 2016 तक स्वीकृत परियोजनाएं	
			बस्तियां	लंबाई (कि.मी)	राशि (करोड़ में)	लम्बाई(कि.मी में)
1.	हिमाचल प्रदेश	112	819	2,724	762	2,238
2.	झारखण्ड	223	2,209	4,133	1,910	4,338
3.	मेघालय	100	515	1,625	810	1,113
4.	पंजाब	136	-	1,062	1,147	2,295
5.	राजस्थान	358	2,734	8,651	3,227	11,499
6.	उत्तर प्रदेश	247	1,590	2,401	1,919	4,709
7.	उत्तराखण्ड	167	0,456	3,578	1,001	2,166
8.	बिहार	244	-	-	1,655	2,292
कुल		1,587	8,323	24,174	12,431	30,650

(ग) विश्व बैंक आरआरपी-II अतिरिक्त वित्तपोषण

क्रेडिट संख्या आईबीआरडी 88640–आईएन के तहत पीएमजीएसवाई सङ्क परियोजना के लिए परियोजना मूल्य के साथ 1000 मिलियन अमरीकी डालर (विश्व बैंक हिस्सा 500 मिलियन अमरीकी डालर और भारत सरकार हिस्सा 500 मिलियन अमरीकी डालर) का अतिरिक्त वित्त पोषण स्वीकृत किया गया है जिसे 25 मई 2018 को मंजूरी दी गई और यह 18 जून 2018 से प्रभावी हो गया है। परियोजना की अवधि 32 महीने है और इसे परियोजना की संरचना करते समय परिकल्पना की गई थी कि पीएमजीएसवाई ग्रामीण सङ्क परियोजना आरआरपी-II (P124639) के तहत स्वीकृत आगे बढ़ाए गए निर्माण कार्यों के लिए 300 मिलियन अमरीकी डालर (150 मिलियन अमरीकी डालर संवितरण घटक) का वित्त पोषण किया जाएगा जिनकी ऋण अवधि 30 जून, 2018 को समाप्त हो गई है। वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में परियोजना को स्थापना के बाद से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और तदनुसार, डीईए, वित्त मंत्रालय से दिसंबर 2021 तक विस्तार के लिए अनुरोध किया गया था। डीईए विस्तार के लिए सहमत नहीं हुआ है, लेकिन एमओआरडी को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से फ्रंट लोडिंग के माध्यम से यूएस\$ 270 मिलियन प्रोजेक्ट फंड का 15 दिसंबर 2020 तक उपयोग करने की अनुमति दे दी है। डीईए, विश्व बैंक और ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहमति के अनुसार US\$ 230 मिलियन का अभ्यर्पण कर दिया गया है। परियोजना को 15 दिसंबर, 2020 को सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया है।

परियोजना लागत और वित्तपोषण का सारांश (मिलियन अमरीकी डालर में)

परियोजना घटक	मूल आरआरपी-II परियोजना (पी124639) (30.06.2018 को समाप्त)		प्रस्तावित आरआरपी-II अतिरिक्त ^{वित्तपोषण (आईबीआरडी 88640–आईएन)}	
	बैंक	भारत सरकार	बैंक	भारत सरकार
पीएमजीएसवाई कार्यक्रम वित्तपोषण	1,375	—	485	485
तकनीकी सहायता घटक (सभी राज्यों के लिए खुला)	25	—	15	15
कुल	1,400	—	500	500



बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, राजस्थान और त्रिपुरा, इसमें भाग लेने वाले नौ राज्य हैं। परिसंपत्ति प्रबंधन, हरित और जलवायु-लचीली ग्रामीण सड़क रणनीति, कौशल विकास एवं लिंग-लक्षित अवसर, सड़क सुरक्षा प्रबंधन, कार्यक्रम प्रबंधन सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं विकास, परिणाम निगरानी, ग्रामीण परिवहन सेवाएं और कृषि सेवाएं शृंखला, इंजीनियरिंग डिजाइन, परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन आदि तकनीकी सहायता घटक के प्रमुख क्षेत्र हैं।

(क) अतिरिक्त वित्तपोषण की स्थिति (31.03.2020 तक) निम्नानुसार है:

घटक	स्वीकृतियाँ			अवार्ड किए गए कार्य				
	कार्यों की संख्या		स्वीकृत कार्यों की लम्बाई (कि. मी.)	कुल स्वीकृत लागत (करोड़)	कार्यों की संख्या		अवार्ड किए गए कार्यों की लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (करोड़)
	सड़क	पुल			सड़क	पुल		
अतिरिक्त वित्तपोषण	1714	195	11770.07	6931.47	1705	190	11736.78	6912.67
अतिरिक्त वित्तपोषण (जो एवं सीआर) कुल	755	0	5720.01	3752.2	752	0	5708.03	3744.08
सकल योग	2469	195	17490.084	10683.67	2457	190	17444.81	10656.75

(ख) प्रतिपूर्ति स्थिति:

अतिरिक्त वित्तपोषण के तहत, विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति के लिए 31 मार्च 2021 तक 151.25 मिलियन अमरीकी डालर का दावा किया गया है।

(ग) परियोजना के घटकों के तहत नियुक्तियाँ

- जीआईएस सेल का संरचना:** सभी राज्यों में एक निर्धारित जीआईएस कक्ष स्थापित किया गया है। हार्डवेयर की खरीद और दो साल के लिए जीआईएस विश्लेषक की नियुक्ति के लिए 29 राज्यों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
- एसआरआरडीए और पीआईयू में वीसी सुविधा की स्थापना:** 8.02 करोड़ रुपये की लागत से 25 एसआरआरडीए और 649 पीआईयू को वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग सुविधा की सामग्री की खरीद के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- सड़क सुरक्षा कार्य योजनाएँ:** विश्व सड़क कांग्रेस द्वारा परिभाषित "सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण" पर आधारित सड़क सुरक्षा कार्य योजना 4 राज्यों अर्थात् मेघालय, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए तैयार की गई है।
- प्रशिक्षण के बाद मान्यता प्राप्त कर्मचारी:** पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के लिए काम कर रहे 1849 अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों, जैसे, आईएएचई, सीआरआरआई, ईएससीआई, एआईटीडी, एनआईसीएमएआर आदि द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा, COVID महामारी के कारण 158 अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है (कुल 2007 स्टाफ प्रशिक्षित)।
- संपत्ति प्रबंधन योजना:** बिहार और असम ने संपत्ति प्रबंधन योजना तैयार की है। अभिलेखों से यह भी सत्यापित किया गया कि निधि आवंटन और कार्यों के आवंटन, पुनःकालीन के निर्धारण के लिए केवल बिहार सरकार ने संपत्ति प्रबंधन योजना को अपनाया है।
- "पीएमजीएसवाई (ईमार्ग) के तहत ग्रामीण सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव" का उपयोग करके रखरखाव निगरानी:** पीएमजीएसवाई योजनाओं के सड़क नेटवर्क के लिए स्थानीय



समुदायों/महिला स्वयं सहायता समूह (डब्ल्यू–एसएचजी) सहित निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) का कार्यान्वयन। इमार्ग वर्तमान में देश भर के सभी राज्यों में चालू है। यह प्रणाली जियो-टैगिंग और टाइम स्टैम्प फोटो फील्ड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन और पीआईयू प्रभारी द्वारा द्विमासिक निरीक्षण सहित रखरखाव और ऑनलाइन भुगतान का एक उचित रिकॉर्ड सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

- vii. आईआरसी का संशोधन:** एसपी–20 ग्रामीण सड़क नियमावली: एनआरआईडीए ने आईआरसी: एसपी–20 ग्रामीण सड़क नियमावली को संशोधित करने के लिए इंडिया रोड कांग्रेस (आईआरसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संशोधन का कार्य प्रगति पर है। आईआरसी के अंतिम मसौदा: एसपी–20 को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- viii. अपशिष्ट प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स का निष्पादन अध्ययन:** त्वरित परीक्षण सुविधा और अन्य आधुनिक उपकरणों के माध्यम से स्थानीय सामग्रियों और नई तकनीकों का उपयोग करके नए और लागत प्रभावी डिजाइनों पर आगे के शोध में पीएमजीएसवाई की तकनीकी एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी का सहयोग करने के लिए विभिन्न एनआईटी/आईआईटी/अन्य संस्थानों के माध्यम से अपशिष्ट प्लास्टिक और ठंडे मिश्रण के निष्पादन अध्ययन का कार्य किया गया है और यह कार्य अभी भी जारी है।

8.2 एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से सहायता

एडीबी 5 राज्यों (অসম, ছত্তীসগড়, মধ্য প্রদেশ, ওডিশা ও পশ্চিম বঙ্গাল) কो গ্রামীণ সড়কে সেক্টর–I, গ্রামীণ সড়কে সেক্টর–II পরিযোজনাও কে লিএ ও গ্রামীণ সংপর্কতা নিবেশ কার্যক্রম (আরসীআইপি) কে লিএ ক্রমশ: 400 মিলিয়ন অমরীকী ডালর, 750 মিলিয়ন অমরীকী ডালর, 800 মিলিয়ন অমরীকী ডালর কে ঋণো কে মাধ্যম সে পীএমজীএসবাঈ কার্যক্রম কো সহায়তা প্রদান কর রহা হৈ। বর্তমান মে কিএ জা রহে দ্বিতীয় গ্রামীণ সংপর্কতা নিবেশ কার্যক্রম (এসআরসীআইপি) কে তহত এডীবী কো সহায়তা 500 মিলিয়ন অমরীকী ডালর হৈ।

অসম, ছত্তীসগড়, মধ্য প্রদেশ, ওডিশা ও পশ্চিম বঙ্গাল মে 22,555.70 কিলোমিটর সড়ক কো লংবাঈ কে মাধ্যম সে 9600 বস্তিয়ো কো জোড়কর গ্রামীণ সড়ক সেক্টর–I নিবেশ কার্যক্রম (আরআরএসআইপি–I) ও গ্রামীণ সড়ক সেক্টর–II নিবেশ কার্যক্রম (আরআরএসআইপি– II) ক্রমশ: জুন 2009 ও জুন 2014 মে পূরে কর লিএ গাএ হৈ।

ক) গ্রামীণ সংপর্কতা নিবেশ কার্যক্রম (আরসীআইপি):

800 মিলিয়ন অমরীকী ডালর কে লিএ মল্টী–দ্রাংশ বিত্তপোষণ সুবিধা (এমএফএফ) পর 17 মई 2012 কো এডীবী, ডীইএ, গ্রামীণ বিকাস মন্ত্রালয় ও রাজ্যো দ্বারা হস্তাক্ষর কিএ গাএ। নিবেশ কার্যক্রম কে লিএ এডীবী বিত্তীয সহায়তা কো মল্টী দ্রাংশ বিত্তপোষণ সুবিধা কে মাধ্যম সে বড়ায়া গায়। অসম, ছত্তীসগড়, মধ্য প্রদেশ, ওডিশা ও পশ্চিম বঙ্গাল মে 6382 বসাবটো কো জোড়নে হেতু 13021.16 কিলোমিটর গ্রামীণ সড়কো কা নির্মাণ করকে 31 দিসেবৰ 2019 কো আরসীআইপি পূরা কর দিয়া গায়। নিবেশ কার্যক্রম কো বিত্তপোষণ যোজনা নীচে দী গৈছ হৈ:–

ক্রমাংক	স্তরোত	রাশি
1.	এশিয়াই বিকাস বৈংক	800 মিলিয়ন অমরীকী ডালর
2.	ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারে	425.30 মিলিয়ন অমরীকী ডালর
	কুল	1225.30 মিলিয়ন অমরীকী ডালর



ऋण की विविध ट्रांशों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- i. **ऋण संख्या 2881—आईएनडी (ट्रांश 1)** — ग्रामीण संपर्कता निवेश कार्यक्रम के तहत ट्रांश-I के लिए 252.00 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर 2 अप्रैल 2013 को हस्ताक्षर किए गए हैं और यह 5 जून 2013 से प्रभावी हो गया। यह परियोजना 30 जून 2018 को पूरी हो चुकी है। इस ऋण के तहत 3784.62 किमी लंबाई की सड़कों का निर्माण करके 1787 बस्तियों को संपर्कता प्रदान की गई।
- ii. **ऋण संख्या 3065—आईएनडी (ट्रांश-2)** — 275.00 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण जिसमें ग्रामीण संपर्कता और संस्थागत विकास के घटक शामिल हैं, पर 8 नवंबर 2013 को हस्ताक्षर किए गए और यह 31 मार्च 2014 से प्रभावी हो गया। 25 मिलियन अमरीकी डालर के आंशिक रद्दीकरण के बाद कुल आवंटन 250 मिलियन अमरीकी डालर तक रह गया। इस परियोजना को 30 सितंबर 2018 तक पूरा कर लिया गया है। इस ऋण के तहत 3629.576 लंबी सड़कों का निर्माण करके 1709 बस्तियों को संपर्कता उपलब्ध करवाई गई है।
- iii. **ऋण संख्या 3306—आईएनडी (ट्रांश 3)** — 273.00 मिलियन अमरीकी डालर की राशि जिसमें ग्रामीण संपर्कता और संस्थागत विकास के घटक शामिल हैं, पर 6 नवंबर 2015 को हस्ताक्षर किए गए और यह 29 दिसंबर 2015 से प्रभावी हो गया। परियोजना 29 जुलाई, 2020 को पूरी कर दी गई है। इस ऋण के तहत कुल 230.83 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का वितरण किया जा चुका है। (बचत के रूप में 42.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर अभ्यर्पित किए गए थे)। इस ऋण के तहत 5888.16 कि.मी. सड़कों का निर्माण करके 2886 बस्तियों को जोड़ा गया।

ग्रामीण कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम में संस्थागत विकास घटक, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, भी शामिल हैं: —

- **ऋण संख्या 2881—आईएनडी** के तहत ग्रामीण सड़कों में क्षमता निर्माण में सहायता करने और अनुसंधान तथा विकास में सहयोग के लिए पांच राज्यों, नामतः असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में पांच ग्रामीण संपर्कता अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई। आरसीआईपी राज्यों में सड़क संयोजकता अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरसीटीआरसी) स्थापित किए गए। स्थापित आरसीटीआरसी द्वारा संबंधित परामर्श सेवाओं की सहायता से प्रशिक्षण तथा लक्षित ग्रामीण सड़क अनुसंधान कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
- **ऋण संख्या 2881—आईएनडी** के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए नेटवर्क आधारित रखरखाव और बजट प्रणाली प्रारंभ करने के लिए पांच पायलट ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाइयाँ (आरआरएनएमयू) भी तेजपुर (असम), रायपुर (छत्तीसगढ़), जबलपुर (मध्य प्रदेश), अंगुल (ओडिशा) और बारासात (पश्चिम बंगाल) में स्थापित की गई हैं। इन आरआरएनएमयू को ऋण संख्या 3065—आईएनडी के तहत ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरण, प्रणाली और उपकरण प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, ऋण संख्या 3306 के तहत 5 आरसीआईपी राज्यों में 24 आरआरएनएमयू स्थापित किए गए हैं। आरआरएनएमयू की सूची निम्नानुसार है :—

क्र.सं	राज्य के नाम	संख्या	जिला, जहां आरआरएनएमयू स्थापित
1.	असम	5	डिबूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, कोकराङ्गार और सिलचर
2.	छत्तीसगढ़	4	अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर
3.	मध्य प्रदेश	6	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, सागर और उज्जैन



4.	ओडिशा	5	बालासोर, बेहरामपुर, बोलांगीर, कटक और संबलपुर
5.	पश्चिम बंगाल	4	बर्दवान, जलपाईगुड़ी, मैदिनीपुर और मालदा
	कुल	24	

ख) द्वितीय ग्रामीण संपर्कता निवेश कार्यक्रम (**एसआरसीआईपी**) – भारत सरकार ने असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पीएमजीएसवाई के हिस्से की सहायता के लिए द्वितीय ग्रामीण संपर्कता निवेश कार्यक्रम के तहत एशियाई विकास बैंक से मल्टी-ट्रांश वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से 500 मिलियन अमरीकी डालर का अतिरिक्त वित्तपोषण प्राप्त किया है। ट्रांश 3 की योजना राज्यों, असम में (800 कि.मी.), छत्तीसगढ़ (500 कि.मी.), ओडिशा (500 कि.मी.) और पश्चिम बंगाल (1000 कि.मी.) में 2800 कि.मी. के लिए तैयार की गई।

वित्तपोषण	ट्रांश 1 (मिलियन अमरीकी डालर)	ट्रांश 2 (मिलियन अमरीकी डालर)	ट्रांश 3 (मिलियन अमरीकी डालर)	कुल (अमरीकी डालर)	भाग (%)
एडीबी (सामान्य पूँजीगत संसाधन) (41.70%)	250	110	140	500	40.81
भारत सरकार (58.30%)	415.32	193	116.94	725.26	59.19
कुल	665.32	303	256.94	225.26	100

- ऋण सं. 3611—आईएनडी (ट्रांश-I)** – 250.00 मिलियन अमरीकी डालर ऋण 30 जनवरी 2018 को हस्ताक्षरित किया गया और 20 मार्च 2018 से प्रभावी हुआ। इसमें असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन शामिल है। 219.53 मिलियन अमरीकी डालर में से 31 मार्च 2021 तक 176.64 मिलियन अमरीकी डालर का संवितरण किया गया है (30.41 मिलियन अमरीकी डालर का बचत के माध्यम से अभ्यर्पण कर दिया गया है)। यह परियोजना 31 अक्टूबर, 2021 को समाप्त होगी।
- ऋण संख्या 3703—आईएनडी (ट्रांश 2)**—110.00 मिलियन अमरीकी डालर के लिए ऋण 05 अक्टूबर 2018 को हस्ताक्षरित किया गया है और निष्पादन के अधीन है। इसमें मध्य प्रदेश राज्य में 2859 किलोमीटर सड़क की लंबाई का उन्नयन शामिल होगा। ऋण 02 अप्रैल 2019 को प्रभावी हो गया। 31 मार्च 2021 तक 94 मिलियन अमरीकी डालर में से 77.32 मिलियन अमरीकी डालर का संवितरण किया गया है (16 मिलियन अमरीकी डालर का बचत के माध्यम से अभ्यर्पण कर दिया गया है)। यह परियोजना 30 जून 2023 को समाप्त होगी।

एडीबी परियोजना के तहत तकनीकी सहायता:

एशियाई विकास बैंक ने एडीबी के तकनीकी सहायता विशेष निधि से अनुदान आधार पर 5 लाख अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता प्रदान की है। तकनीकी सहायता का फोकस आरआरएनएमयू और आरसीटीआरसी को निवेश कार्यक्रम के निम्नलिखित इच्छित परिणामों के प्राप्त करने में योगदान देने के लिए है, अर्थात्,

- (क) स्थिरता में वृद्धि
- (ख) लचीलेपन में वृद्धि
- (ग) नवाचार को बढ़ावा देना



8.3 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल राज्य अधिकारियों का प्रशिक्षण एनआरआईडीए के लिए प्राथमिकता क्षेत्र है। राज्यों को प्रदान जाने वाले प्रशिक्षण सहयोग में विभिन्न क्षेत्र जैसे योजना कार्यान्वयन, दिशानिर्देश, आयोजना, प्रापण, डिजाइन और फुटपाथ और पुलों का निर्माण और डिजाइन, वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां और सड़क सुरक्षा शामिल रहते हैं। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के संस्थानों जैसे भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी (आईएएचई) – नोएडा, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) – नई दिल्ली, भारतीय इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज (ईएससीआई), हैदराबाद इत्यादि के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। एनआरआईडीए अनुमोदित विषयों पर राज्य स्तरीय संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान इस परियोजना के तहत कुल 996 अधिकारी प्रशिक्षित किए गए हैं।

विवरण नीचे दिए गए हैं

क्र सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षित प्रतीभागियों की संख्या
1	सीआरआरआई, नई दिल्ली	224
2	आईएएचई, नोएडा	115
3	एनआईटी, वारंगल	255
4	ईएससीआई, हैदराबाद	80
5	वीएनआईटी, नागपुर	201
6	आईआईटी भुवनेश्वर	86
7	आईआरएफ, वर्जानिया यूएसए (ऑनलाइन)	35
कुल		996

9. राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों (एनक्यूएम) के लिए अभिमुखीकरण–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम:

गुणवत्ता निगरानी के तीसरे स्तर के तहत तैनात राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों (एनक्यूएम) से राज्यों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में ढांचागत मुद्दों को चिह्नित करने और प्रणाली में सुधार लाने के लिए कमियों पर प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा की जाती है। इन राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों को गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण परिणामों और तस्वीरों से अपनी बात को सही ठहराते हुए निर्धारित प्रारूपों में अपनी संरचित प्रतिक्रिया देनी होती है। एनक्यूएम को प्रत्येक परियोजना के निरीक्षण पर कार्यक्रम की प्रबंधन सूचना प्रणाली – ओएमएमएस में गुणवत्ता ग्रेडिंग सारांश और भू–संदर्भित तस्वीरों को भी अपलोड करना होता है। निरीक्षण परियोजनाओं के बारे में ओएमएमएस पर अपलोड किया गया गुणवत्ता ग्रेडिंग सारांश और संबंधित तस्वीरें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होते हैं।

पीएमजीएसवाई के तहत प्रणाली और संबंधित प्रक्रियाओं पर प्रारंभिक मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से नए सूचीबद्ध एनक्यूएम के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन अभिमुखीकरण कार्यक्रमों के दौरान, एनक्यूएम को कार्यक्रम दिशानिर्देशों और स्वतंत्र मॉनीटरों द्वारा निरीक्षण और फोटोग्राफ के सारांश को अपलोड करने के लिए मोबाइल आधारित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के लिए दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी दी जाती है।



2020–21 में, पहले बैच के लिए यूपीआरआरडीए, लखनऊ में 16–18 फरवरी, 2021 के दौरान तीन दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 23 नए एनक्यूएम को ओरिएंटेशन प्रशिक्षण दिया गया था और दूसरे बैच के लिए आईएएचई, नोएडा में 22–24 फरवरी, 2021 के दौरान तीन दिनों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पैनल में शामिल 26 नए एनक्यूएम को ओरिएंटेशन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल होते हैं:

1. पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सङ्कां के लिए विनिर्देशों पर कार्यक्रम दिशानिर्देश और ब्रीफिंग।
2. पीएमजीएसवाई एवं गुणवत्ता नियंत्रण फील्ड परीक्षणों के तहत ग्रामीण सङ्कां के लिए विनिर्देश।
3. तीन स्तरीय गुणवत्ता निगरानी के तहत निर्धारित प्रणाली और प्रक्रिया तथा एनक्यूएम द्वारा रिपोर्टिंग में रहने वाली खामियों पर पावर-पॉइंट प्रस्तुति।
4. ओएमएसएस में निरीक्षण सारांश और तस्वीरों को अपलोड करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग।
5. पुल निरीक्षण से संबंधित मुद्दे।

10. पीएमजीएसवाई निविदाओं में ऑनलाइन बिड सिक्यूरिटी और निविदा शुल्क लागू करना

डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने और पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय लिया गया था कि पीएमजीएसवाई निविदाओं में वेबसाइट pmgsytenders-gov-in के माध्यम से बोली सुरक्षा और निविदा शुल्क जमा करने का ऑनलाइन तरीका लागू किया जाए। 02.07.2020 को ऑनलाइन ईएमडी संग्रह के लिए एसबीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 31.03.2021 के दिन 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को पीएमजीएसवाई निविदाओं में ईएमडी और निविदा शुल्क के ऑनलाइन संग्रह के लिए सक्षम किया गया है।

11. पीएफएमएस के आरईएटी (रसीद, व्यय, अग्रिम और स्थानांतरण) मॉड्यूल में स्विच ओवर करना

अगस्त 2018 से पीएमजीएसवाई कार्यक्रम निधि भुगतान करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का उपयोग पूरे देश में किया जा रहा है। पहले भुगतान करने के लिए उपयोग किए जा रहे पीएफएमएस के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मॉड्यूल की कुछ सीमाएं हैं क्योंकि यह व्यय, अग्रिम, कटौती और हस्तांतरण के बीच अंतर नहीं करता है, किन्तु उभयना लेनदेन को व्यय के रूप में मानता है। परिणामस्वरूप रिपोर्ट स्पेष्टक नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए, एनआरआईडीए को पीएफएमएस के डीबीटी से आरईएटी मॉड्यूल में माइग्रेट करने की सलाह दी गई थी। तदनुसार मई 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ आरईएटी मॉड्यूल का परीक्षण शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में सफल परीक्षण के बाद, रीट मॉड्यूल वित्तीय वर्ष 2020–21 में सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है।

12. एनआरआईडीए के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) तंत्र

वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, (बजट प्रभाग) ने एनआरआईडीए सहित अठारह (18) स्वायत्त निकाय (एबी) / कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान / अनुदान जारी करने के लिए टीएसए प्रणाली का विस्तार करने का निर्णय लिया है। टीएसए प्रणाली सरकारी उधारों की लागत को कम करने और एबीज़ में निधि प्रवाह में दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से शुरू की गई है। यह प्रणाली डिजिटल है और आरबीआई को किए जाने वाले असाइनमेंट का कोई भौतिक प्रवाह नहीं होने के साथ ही पीएफएमएस से पूरी तरह ऑनलाइन है। एबी / उप-एबी के टीएसए असाइनमेंट खाते इस खाते को निर्दिष्ट पर्याप्त



सीमाओं के भीतर पीएफएमएस के माध्यम से केवल भुगतान करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस संबंध में, एनआरआईडीए ने आरबीआई में टीएसए खाता खोला और 01.08.2020 से इसका उपयोग कर रहा है।

13. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के लिए निधि (नाबार्ड से ऋण) जारी करना

23 मार्च, 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएवाई–जी के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। पीएमएवाई–जी के तहत चरणबद्ध तरीके से 2022 तक लगभग 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाना है। पहले चरण में 3 साल अर्थात् 2016–17 से 2018–19 की अवधि में केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में की 81,975 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से एक करोड़ मकानों का निर्माण किया जाना है। पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों, जहां केंद्रीय हिस्सेदारी 90% होगी, को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता की हिस्सेदारी प्रति इकाई 60% होगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी स्वीकृति दी थी कि 3 वर्षों (2016–17 से 2018–19) की अवधि में एक करोड़ मकानों के निर्माण के लिए 81,975 करोड़ रुपये की आवश्यक राशि में से 60,000 करोड़ रुपये की पूर्ति बजटीय स्रोतों से की जाएगी और शेष वित्तीय आवश्यकता 21,975 करोड़ रुपए की पूर्ति राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से उधार के माध्यम से की जाएगी। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एक करोड़ मकानों के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता की हिस्सेदारी प्रदान करने के लिए 2017–18 से चरणबद्ध तरीके से नाबार्ड से वर्ष 21,975 करोड़ रुपये उधार लेने का निर्णय लिया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एनआरआईडीए, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत एक संस्था को पीएमएवाई–जी के लिए नाबार्ड से धन उधार लेने और और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता के रूप में धन जारी करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएवाई–जी चरण-II के तहत 31 मार्च, 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए 19.02.2019 को स्वीकृति दी थी। पीएमएवाई–जी योजना के चरण-II की निरंतरता में 48,195 करोड़ रुपये (सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से 19,000 करोड़ रुपये और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) से 26,170 करोड़ रुपये और 3025 करोड़ रुपये की पूरक मांग) के केंद्रीय वित्त पोषण के साथ वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 60 लाख मकानों का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसमें से 22,025 करोड़ रुपये जीबीएस से लेने हैं और 26,170 करोड़ रुपये ईबीआर के माध्यम से नाबार्ड से प्राप्त लेने हैं। पीएमएवाई–जी चरण-II का 31 मार्च, 2022 तक कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड) के मध्य 20 जनवरी, 2020 को एक पूरक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

प्रधान एवं अनुपूरक समझौतों में निहित प्रावधानों के आधार पर वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान नाबार्ड से 1998.98 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया। नाबार्ड से लिए गए संपूर्ण ऋण का विवरण अनुबंध X में दिया गया है।

14. एनआरआईडीए का बजट/अनुदान सहायता

वर्ष के दौरान अनुदान का प्रारंभिक शेष 14.03 करोड़ रु. ब्याज और विविध था। प्राप्तियां 5.03 करोड़ रुपये की रहीं और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2,440.57 करोड़ एवं पीएमएवाई–जी के लिए नाबार्ड से



लिए ऋण रूपये 19,999.80 करोड़ का कुल अनुदान जारी किया। वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय 22,455.24 करोड़ रुपए था। व्यय मुख्यतः प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के तहत ग्रामीण आवास ऋण के लिए था, इसमें से राज्यों को (19,999.82 करोड़ रुपए) संवितरित किए गए, ग्रामीण आवास के लिए नाबाड़ ऋण के प्रति (2,407.64 करोड़ रुपए) के ब्याज का भुगतान किया गया, एनआरआईडीए के व्यय के लिए (32.78 करोड़ रुपए), विश्व बैंक परियोजना प्रबंधन अर्थात् आरआरपी—॥ के तहत तकनीकी सहायता के लिए (12.79 करोड़ रुपए) खर्च हुए और एडीबी परियोजनाओं पर (2.21 करोड़ रुपए) खर्च हुए। वित्तीय वर्ष 2020.21 के मद वार व्यय का विवरण अनुलग्नक X में दिया गया है।

15. एनआरआईडीए के लेखापरीक्षित लेखे

एजेंसी के लेखाओं की लेखा परीक्षा इस प्रयोजन से नियुक्त मे. जी. सुरेखा एंड कं., चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की गई है। वर्ष 2020–21 के लिए बैलेंस शीट, प्राप्तियां और भुगतान खाता, आय–व्यय खाता के रूप में लेखा–परीक्षित लेखे और खातों पर दिए गए नोट्स अनुलग्नक XI–क से XI–छ के रूप में संलग्न हैं।

16. एनआरआईडीए में राजभाषा कार्यान्वयन नीति

एनआरआईडीए ने कार्यालय के दिन–प्रतिदिन के कार्यालयीन काम में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों में निहित राजभाषा नीति का कार्यान्वयन किया है। इस उद्देश्य से कार्यालय में सभी सहायक निदेशकों और इससे उच्च स्तर के अधिकारियों को कार्यालय में निदेशक (वित्त और प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सदस्य बनाया गया है। राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए त्रैमासिक अंतराल पर समिति की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। 14 सितंबर से 28 सितंबर 2020 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। एनआरआईडीए प्रति वर्ष हिन्दी गृह पत्रिका “राजभाषा स्मारिका” भी प्रकाशित करती है और हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह में महानिदेशक, एनआरआईडीए द्वारा इसके अष्टम अंक का लोकार्पण किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एनआरआईडीए में निम्नलिखित कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था :—

- (क) 22 सितंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिन्दी कार्यशाला
- (ख) 7 जनवरी, 2021 को अनुवाद संबंधी कार्यशाला।






परिशिष्ट





અનુલેખનક - I

፩፻፲፭



44



अनुलग्नक – II

आरसीपीएलडब्ल्यूई के तहत 2020–21 में स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण

क्र सं	राज्य	मूल्य (करोड़ में)	सड़क कार्यों की संख्या	लम्बाई कि.मी.में	पुलों की संख्या	पुल की लम्बाई मीटर में
1	आन्ध्र प्रदेश	53.12	12	68.85	-	-
	कुल	53.12	12	68.85	-	-



अनुलग्नक –III

प्रधान तकनीकी एजेंसियां (पीटीए) और उन्हें आवंटित राज्यों की सूची

क्र.सं.	प्रमुख तकनीकी एजेंसी का नाम	शामिल राज्य
1	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), नई दिल्ली	सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश (सभी पीटीए से अतिरिक्त), महाराष्ट्र एवं गुजरात
2	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और बिहार
3	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना
4	बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश
5	इंजीनियरिंग कॉलेज, बैंगलुरु विश्वविद्यालय,	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा बैंगलुरु
6	भारतीय प्राद्यौगिकी संस्थान, खड़गपुर	पूर्वोत्तर के राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल
7	भारतीय प्राद्यौगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	छत्तीसगढ़, झारखण्ड और ओडिशा
8	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्राद्यौगिकी संस्थान, (एमएएनआईटी), भोपाल	मध्य प्रदेश



अनुलग्नक -IV

राज्य तकनीकी एजेंसियाँ (एसटीए) की सूची

क्र. सं.	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसियाँ	
1.	अंडमान एवं निकोबार	जेएनटीयूएच इंजीनियरिंग कॉलेज, कुकटपल्ली	हैदराबाद—500085 (तेलंगाना)
2.	आंध्र प्रदेश	i. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ii. आंध्र विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग iii. विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, जेएनटीयू	वारंगल—506004 विशाखापटनम —530003 काकीनाडा— 533003
3.	अरुणाचल प्रदेश	जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज	जोरहाट—785007
4.	অসম	i. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ii. असम इंजीनियरिंग कॉलेज, जलुकबारी iii. जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज iv. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	গুবাহাটী—781039 গুবাহাটী—781013 জোরহাট—785007 সিলচর—788010
5.	बिहार	i. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ii. मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान iii. भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज iv. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	पटना —800005 मुजफ्फरपुर—842003 भागलपुर—813210 पटना
6.	छत्तीसगढ़	i. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जीई रोड ii. भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान iii. वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	रायपुर—492010 दुर्ग बुरला, संबलपुर, ओडिशा
7.	गोवा	गोवा इंजीनियरिंग कालेज	फार्मागुडी, पोंडा—403401
8.	ગુજરાત	એસ.વી. રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થાન	ઇચ્છાનાથ, સૂરત—395007
9.	હਰियાણા	i. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ii. थापर इंजीनियरिंग एण्ड प्रौद्योगिकी संस्थान iii. दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, મુરથલ	કुરुક्षेत्र—136119 પटियाला—147004, પંજાਬ સોનીપત-131039
10.	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	हમીરપુર—177005
11.	જમ્મૂ एवं कश્મીર	i. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ii. રાજકીય ઇંજીનિયરિંગ એવં પ્રૌદ્યોગિકી કॉલેજ, જમ્મૂ	શ્રીનગર—190006 જમ્મૂ એવં કશ્મીર જમ્મૂ—181122
12.	झારখંડ	i. બিરলા પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થાન ii. ભારતીય પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થાન	મેસરા —835215 (રાંચી) મુવનેશ્વર
13.	કર્નાટક	i. બೆંગલૂર વિશ્વવિદ્યાલય ii. રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થાન, સૂરથકલ iii. પી.ડી.એ. ઇંજીનિયરિંગ કॉલેજ	જ્ઞાનભારતી, બ૆ંગલૂર—56005 6 ડાકઘર શ્રીનિવાસનગર, મંગલપુર —575025 ગુલબર્ગા—585102



		iv. आईआर रास्ता, सड़क संस्थान	बैंगलोर—560058, कर्नाटक
		v. पी.ई.एस. इंजीनियरिंग कॉलेज	मांडवा—571401
		vi. राजकीय एसकेएसजे प्रौद्योगिकीय संस्थान	के.आर. सर्कल, बैंगलोर—560001
14.	केरल	i. इंजीनियरिंग कॉलेज	त्रिवेन्द्रम 695016
		ii. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	कालीकट— 673601
15.	मध्य प्रदेश	i. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	भोपाल—462051
		ii. जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज	जबलपुर—482011
		iii. श्री जी.एस. प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान	इंदौर—452003
		iv. माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान	ग्वालियर—474005
		v. सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान	विदिशा—464001
		vi. उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज	उज्जैन
16.	महाराष्ट्र	i. विश्वेश्वररैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	दक्षिण अंबाजरीवाड़, नागपुर—440011
		ii. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, औरंगाबाद	औरंगाबाद—431005
		iii. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शिवाजीनगर	पुणे—05
		iv. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज	अमरावती—444604
		v. सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज	मुंबई 400058
17.	मणिपुर	i. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	सिलचर—788010
		ii. मणिपुर प्रौद्योगिकी संस्थान	टकियालपत, इंफाल
18.	मेघालय	i. भातीय प्रौद्योगिकी संस्थान	गुवाहाटी
		ii. जोरहाट इंजीनियरिंग कालेज	जोरहाट—785007
19.	मिजोरम	i. भातीय प्रौद्योगिकी संस्थान	खड़गपुर—721303
		ii. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर (पुलों के लिए)	सिलचर—788010
20.	नागालैंड	जोरहाट इंजीनियरिंग कालेज	जोरहाट—785007
21.	ओडिशा	i. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	राउरकेला—769008
		ii. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज	भुवनेश्वर— 751003
		iii. वीर सुरेन्द्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	बुरला—768018
		iv. इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, सारंग	सारंग—759146
		v. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	जिला— ढेंकनाल (उड़ीसा) भुवनेश्वर
22.	पंजाब	i. पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, ज्ञानी जैल सिंह परिसर	डबवालीरोड, बठिंडा-151001
		ii. थापर इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान	पटियाला—147004
		iii. गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज	लुधियाना—141006
23.	राजस्थान	i. बिरला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	जयपुर—302017
		ii. मालविया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	जयपुर —302017
		iii. विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय	कोटा—324010



		iv. एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय	जोधपुर-342011
24.	सिक्किम	i. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज	जलपाईगुड़ी-735102
		ii. सिक्किम मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान, मजहिटर	सिक्किम
25.	तमिलनाडु	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	तिरुचिरापल्ली-620015
26.	तेलंगाना	i. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	वारंगल-506004
		ii. जेएनटीयूएच इंजीनियरिंग, कुकटपल्ली	हैदराबाद 500072
		iii. विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय	हैदराबाद-500007
27.	त्रिपुरा	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	अगरतला-500007
28.	उत्तर प्रदेश	i. मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	इलाहाबाद-211004
		ii. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	रुड़की-247667
		iii. कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान	सुल्तानपुर-228118
		iv. हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय	कानपुर-208,002
		v. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	सीतापुर रोड, लखनऊ-226021
		vi. प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	वाराणसी-221005
		vii. एम.एम.एम.प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	गोरखपुर-273010
29.	उत्तराखण्ड	i. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	रुड़की-247667
		ii. जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	पंतनगर-263145
30.	पश्चिम बंगाल	i. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	खड़गपुर-721302
		ii. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज	जलपाईगुड़ी-735102
		iii. भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर	हावड़ा-711103
		iv. जादवपुर विश्वविद्यालय	कोलकाता- 700032
		v. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	दुर्गापुर-713209
31.	पुडुचेरी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	तिरुचिरापल्ली-620015
32.	लद्दाख	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	श्रीनगर-190006, जम्मू एवं कश्मीर



अनुलग्नक –V(i)

पीएमजीएसवाई –I के तहत 2020–21 के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण

क्र सं	राज्य	मूल्य (करोड़ रुपये में)	सङ्क कार्यों की संख्या	लम्बाई कि.मी. में	पुलों की संख्या	पुल लम्बाई मीटर में
1.	बिहार	493.38		-	166	10,035.33
2.	मणिपुर	183.54		-	66	2,435.13
3.	सिक्किम	54.43		-	17	570
	कुल	731.35			249	13,040.46



अनुलग्नक –V(ii)

पीएमजीएसवाई –II के तहत 2020–21 के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण

क्र सं	राज्य	मूल्य (करोड़ रुपये में)	सङ्क कार्यों की संख्या	लम्बाई कि. मी. मे	पुलों की संख्या	पुल लम्बाई मीटर में
1.	अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन	54.44	56	115.37	-	-
2.	पुडुचेरी	49.64	45	106.13	-	-
3.	बिहार	178.02	-	-	97	3,257.67
4.	मणिपुर	3.54	-	-	2	45.73
	कुल	285.64	101	221.5	99	3303.4



अनुलग्नक –V(iii)

पीएमजीएसवाई –III के तहत 2020–21 के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण

क्र सं	राज्य	मूल्य (करोड़ रूपये में)	सङ्क कार्यों की संख्या	लम्बाई कि. मी. में	पुलों की संख्या	पुल लम्बाई मीटर में
1.	आंध्र प्रदेश	766.54	170	1378.54	2	162.20
2.	অসম	1955.44	429	2759.72	-	
3.	बिहार	1197.28	169	1390.31	39	998.68
4.	छत्तीसगढ़	1138.16	180	1882.45	18	1511.22
5.	ગુજરાત	1749.62	304	3015.37	-	
6.	હરિયાણા	933.09	203	1905.89	-	
7.	ಕರ್ನಾಟಕ	1471.44	352	2201.74	75	2649.53
8.	કেರल	82.86	20	104.56	-	
9.	મध્યા પ્રદેશ	3322.92	377	4779.21	167	4759.60
10.	મહाराष्ट्र	1919.76	380	2581.72	-	
11.	ઉઝ્જીસા	3414.75	832	5446.34	64	3828.12
12.	પંજાਬ	1477.99	204	2055.73	-	
13.	રાજસ્થાન	1982.59	374	3622.98	6	667.60
14.	તમિલનાડુ	1265.14	582	2157.17	-	
15.	તેલંગાના	1678.92	346	2336.99	95	6132.30
16.	ઉત્તર પ્રદેશ	4177.80	898	6287.37	5	134.40
	कुल	28534.3	5820	43906.07	471	20843.65



अनुलग्नक -VI(i)

पीएमजीएसवाई के तहत बसावटों के लिए भौतिक उपलब्धियां

क्र. सं	राज्य / कें.शा.प्र.	कुल पात्र असंबद्ध बसावटें (संख्या)	पीएमजीएसवाई के तहत संबद्ध बसावटें (सं.)	पीएमजीएसवाई के तहत राज्यसंबद्ध बसावटें (सं.)	कुल संबद्ध बसावटें (सं.)	समाप्त की गई बसावट (सं.)	अव्यवहार्य बसावटें (सं.)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7	6	0	6	0	0
2	आन्ध्र प्रदेश	1,636	1,215	357	1,572	23	22
3	अरुणाचल प्रदेश	642	528	0	528	1	0
4	असम	15,321	13,630	1,428	15,058	145	0
5	बिहार	34,586	29,354	3,112	32,466	1,390	0
6	छत्तीसगढ़	10,638	9,511	550	10,061	296	56
7	गोवा	15	1	0	1	15	0
8	गुजरात	3,387	3,048	319	3,367	11	9
9	हरियाणा	1	1	0	1	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	3,554	2,406	656	3,062	77	257
11	जम्मू एवं कश्मीर	2,420	1,957	185	2,142	86	0
12	झारखण्ड	11,469	9,537	1,539	11,076	376	0
13	कर्नाटक	423	296	127	423	0	0
14	केरल	434	402	17	419	13	0
15	मध्य प्रदेश	19,447	17,495	1,601	19,096	258	60
16	महाराष्ट्र	1,950	1,338	480	1,818	105	18
17	मणिपुर	667	596	15	611	0	0
18	मेघालय	771	383	125	508	3	41
19	मिजोरम	256	220	12	232	5	7
20	नागालैण्ड	116	95	7	102	0	0
21	ओडिशा	16,488	15,189	1,054	16,243	86	20
22	पंजाब	535	389	146	535	0	0
23	राजस्थान	16,451	15,981	282	16,263	191	0
24	सिक्किम	359	332	9	341	0	0
25	तमिलनाडु	2,013	1,985	11	1,996	9	8
26	त्रिपुरा	2,071	1,944	31	1,975	30	2
27	उत्तर प्रदेश	14,804	11,748	2,436	14,184	619	0
28	उत्तराखण्ड	2,658	1,662	778	2,440	0	8
29	पश्चिम बंगाल	14,221	13,079	631	13,710	434	0
30	तेलंगाना	767	595	164	759	7	1
31	लद्दाख	78	64	13	77	0	0
	कुल	1,78,184	1,54,987	16,086	1,71,073	4,180	509



पीएमजीएसवाई के तहत बसावटों के लिए भौतिक उपलब्धियां (100–249)

क्र सं	राज्य / कें.शा.प्र.	कुल पात्र असंबद्ध बसावटें (संख्या)	पीएमजीएसवाई के तहत संबद्ध बसावटें (सं.)	पीएमजीएसवाई के तहत राज्यसंबद्ध बसावटें (सं.)	कुल संबद्ध बसावटें (सं.)	समाप्त की गई बसावट (सं.)	अव्यवहार्य बसावटें (सं.)
1	आन्ध्र प्रदेश	417	139	56	195	15	144
2	बिहार	1,480	1,360	6	1,366	45	0
3	छत्तीसगढ़	1,540	935	147	1,082	50	152
4	झारखण्ड	2,246	1,406	733	2,139	86	0
5	मध्य प्रदेश	25	3	0	3	6	7
6	महाराष्ट्र	188	65	67	132	16	10
7	ओडिशा	1,991	1,508	273	1,781	21	1
8	पश्चिम बंगाल	176	139	20	159	6	0
9	तैलंगाना	181	107	65	172	11	0
	कुल	8,244	5,662	1,367	7,029	256	314



अनुलग्नक –VI(ii)

पीएमजीएसवाई के तहत पूर्ण की गई लंबाई के लिए भौतिक उपलब्धियां

क्र सं.	राज्य	मार्च 2021 तक पूर्ण की गई लम्बाइयां (कि.मी.)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	30.62
2	आंध्र प्रदेश	15,050.50
3	अरुणाचल प्रदेश	11,468.46
4	असम	28,349.17
5	बिहार	54,109.83
6	छत्तीसगढ़	38,500.70
7	गोवा	155.33
8	गुजरात	12,768.60
9	हरियाणा	5,805.03
10	हिमाचल प्रदेश	18,000.30
11	जम्मू और कश्मीर	14,052.55
12	झारखण्ड	26,405.52
13	कर्नाटक	19,141.22
14	केरल	3,712.72
15	लद्दाख	781.20
16	मध्य प्रदेश	80,248.15
17	महाराष्ट्र	26,621.07
18	मणिपुर	8,747.77
19	मेघालय	2,909.61
20	मिजोरम	3,716.64
21	नगालैंड	3,921.36
22	ओडिशा	62,191.93
23	पंजाब	8,243.23



24	राजस्थान	69,075.86
25	सिक्किम	4,183.80
26	तमिलनाडु	19,501.94
27	तेलंगाना	11,033.52
28	त्रिपुरा	4,533.56
29	उत्तर प्रदेश	57,089.75
30	उत्तराखण्ड	16,525.47
31	पश्चिम बंगाल	35,804.72
कुल		6,62,680.08
32	दादरा एवं नगर हवेली	0
33	दमन एवं दीव	0
34	दिल्ली	0
35	लक्षद्वीप	0
36	पांडीचेरी	0
सकल योग		6,62,680.08



अनुलग्नक –VII

अनुलग्नक–VII : पीएमजीएसवाई प्राप्त उपलब्धि 2020–21

क्र. सं	राज्य	मार्च, 21 तक संबद्ध की गई बसावटें (सं.)	मार्च 21 तक पूर्ण की गई लंबाई (कि.मी.)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT)	6	31
2.	आंध्र प्रदेश	43	531
3.	अरुणाचल प्रदेश	14	1796
4.	असम	837	2682
5.	बिहार	468	2255
6.	छत्तीसगढ़	205	4686
7.	गोवा	0	0
8.	गुजरात	1	202
9.	हरियाणा	0	224
10.	हिमाचल प्रदेश	90	1916
11.	जम्मू और कश्मीर	119	3167
12.	झारखण्ड	46	2008
13.	कर्नाटक	0	566
14.	केरल	0	77
15.	मध्य प्रदेश	92	2955
16.	महाराष्ट्र	28	181
17.	मणिपुर	18	893
18.	मेघालय	7	728
19.	मिजोरम	64	246
20.	नगालैंड	0	36



21.	ओडिशा	269	1844
22.	पांडिचेरी (यूटी)	0	0
23.	पंजाब	0	1
24.	राजस्थान	6	1856
25.	सिक्किम	5	157
26.	तमिलनाडु	0	871
27.	त्रिपुरा	30	109
28.	उत्तर प्रदेश	2	711
29.	उत्तराखण्ड	144	3365
30.	पश्चिम बंगाल	67	2179
31.	तेलंगाना	27	320
32.	लद्दाख (संघ शासित प्रदेश)	0	86
33.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0
34.	दमन एवं दीव	0	0
35.	दिल्ली	0	0
36.	लक्ष्मीप	0	0
सकल योग		2,588	36,677



अनुलग्नक—VIII

अनुलग्नक—VIII : पीएमजीएसवाई — अनुसंधान एवं विकास— लक्ष्य एवं उपलब्धियां 2020–21

क्र.सं.	राज्य	कुल अनु. एवं वि. लंबाई लक्ष्य	पीएमजीएसवाई—I अनु. एवं वि के तहत पूर्ण की गई लंबाई	पीएमजीएसवाई—II अनु. एवं वि के तहत पूर्ण की गई लंबाई	पीएमजीएसवाई—III अनु. एवं वि के तहत पूर्ण की गई लंबाई	अनु. एवं वि आरसीपीएल डब्यूपीएलई के तहत पूर्ण की गई लंबाई	अनु. एवं वि के तहत पूर्ण की गई कुल लंबाई
क	ख	ग	घ	च	छ	ज	झ= घ+ च+ छ+ ज
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	8					0
2	आंध्र प्रदेश	421	74.94			5.3	80.24
3	अरुणाचल प्रदेश	1250	11.78				11.78
4	অসম	1000	2300.9	53.84			2354.74
5	बिहार	1000	472.65	440.88			913.53
6	छत्तीसगढ़	500	190.63	231.13	874.62	10.67	1307.05
7	गोवा						0
8	ગુજરાત	200	6.4				6.4
9	हरियाणा	55			88.75		88.75
10	हिमाचल प्रदेश	721	337.94				337.94
11	जम्मू और कश्मीर	657	232.26	2.1			234.36
12	झारखण्ड	864	1196.25	114.36		62.19	1372.8
13	कर्नाटक	200			2.96		2.96
14	केरल	144	3.29	18.82			22.11
15	मध्य प्रदेश	822	315.73	205.84	597.22		1118.79
16	महाराष्ट्र	25	4				4
17	मणिपुर	450	8.86				8.86



18	मैदालय	1378	125.18	2.6			127.78
19	मिजोरम	400					0
20	नगालैंड	223	17.6				17.6
21	ओडिशा	1865	750.25	368.52			1118.77
22	पंजाब						0
23	राजस्थान	250	10		33.02		43.02
24	सिक्किम	426	13.39				13.39
25	तमिलनाडु	400	209.55	168.58	34.19		412.32
26	त्रिपुरा	123	27.58				27.58
27	उत्तर प्रदेश	100	124.88	22.2		24.1	171.18
28	उत्तराखण्ड	1922	618.26	40.38			658.64
29	पश्चिम बंगाल	1213	337.94	261.43			599.37
30	तेलंगाना	214	173.46			1	174.46
31	लद्दाख	25					0
	कुल	16856	7563.74	1930.68	1630.76	103.26	11228.44



अनुलग्नक-IX

अनुलग्नक-IX : अनुसंधान एवं विकास कार्य 2020–21 के तहत स्वीकृत लंबाई का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	पीएमजीएसवाई- ॥	पीएमजीएसवाई- ॥।।	आरसीपलएलडब्ल्यूई	कुल
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	96.07			96.07
2.	आंध्र प्रदेश		236.99	11.1	248.09
3.	असम		839.43		839.43
4.	बिहार		655.7		655.7
5.	छत्तीसगढ़		1558.8		1558.8
6.	गुजरात		982.51		982.51
7.	हरियाणा		1776.05		1776.05
8.	कर्नाटक		380.43		380.43
9.	केरल		54.31		54.31
10.	मध्य प्रदेश		2248.09		2248.09
11.	महाराष्ट्र		1297.98		1297.98
12.	ओडिशा		2658.48		2658.48
13.	पंजाब		573.73		573.73
14.	राजस्थान		2645.36		2645.36
15.	तमिलनाडु		664.29		664.29
16.	तेलंगाना		847.25		847.25
17.	उत्तर प्रदेश		1485.53		1485.53
18.	पुडुचेरी	50.15			50.15
कुल		146.22	18904.98	11.1	19062.3



अनुलग्नक: X

पीएमएवाई–जी के लिए नाबाड़ से लिए गए ऋण के विवरण

महीना	ऋण प्राप्ति की तिथि	ऋण राशि (रूपये में)
फरवरी, 2018	27-2-18	218000
मार्च, 2018	9-3-18	222700
मार्च, 2018	16-3-18	292243
अक्टूबर, 2018	5-10-18	281440
दिसम्बर, 2018	13-12-18	197140.00
दिसम्बर, 2018	26-12-18	237990.00
फरवरी, 2019	13-2-19	128310.00
मार्च, 2019	22-3-19	223000
जनवरी, 2020	31-1-20	510260
फरवरी, 2020	10-2-20	328340
मार्च, 2020	19-3-20	242500
नवम्बर, 2020	19.11.2020	334370
नवम्बर, 2020	25-11-20	277760
दिसम्बर, 2020	30-12-20	201230
दिसम्बर, 2021	22-2-21	52050
मार्च 2021	17-3-21	343900
मार्च 2021	23-3-21	790670
कुल		4881903



अनुलग्नक – XI

2020–21 के लिए वास्तविक व्यय

मद शीर्ष एवं प्रयोजन	बीई—2020—21	31 मार्च, 2021 तक व्यय
(1.2.1) स्थापना		
(1.2.1.01) वेतन एवं भत्ते	10,83,00,000	7,34,67,720
(i) प्रतिनियुक्ति पर	5,33,00,000	4,27,42,408
(ii) सेवानिवृत्त अधिकारी	50,00,000	24,18,132
(iii) सहायक कार्मिक / अन्य	5,00,00,000	2,83,07,180
(1.2.1.03) समयोपरि भत्ते	0	0
(1.2.1.04) चिकित्सा दावों पर व्यय	20,00,000	9,82,954
(1.2.1.05) छुट्टी नकदीकरण	10,00,000	4,07,000
कुल स्थापन	11,13,00,000	7,48,57,674
(1.2.2) प्रशासनिक खर्च		
(1.2.2.01) कार्यालय रखरखाव / कर एवं शुल्क	48,70,000	48,69,850
(1.2.2.02) अंतर्राजीय यात्रा व्यय	12,00,000	11,79,925
(1.2.2.03) विदेश यात्रा व्यय	0	0
(1.2.2.04) वाहन किराये पर लेना	36,00,000	35,48,072
(1.2.2.05) मुद्रण तथा स्टेशनरी	2,00,000	1,52,587
(1.2.2.06) बैठकों पर व्यय	1,00,000	9,395
(1.2.2.07) लेखा—परीक्षकों को दी गई फीस	3,00,000	1,60,480
(1.2.2.08) दूरभाष — कार्यालय	2,20,000	2,19,143
(1.2.2.09) दूरभाष — आवासीय एवं मोबाइल	2,20,000	2,14,444
(1.2.2.10) वाहन रखरखाव	8,00,000	7,99,193
(1.2.2.11) बिजली व्यय	28,00,000	23,24,030
(1.2.2.12) डाक संबंधी व्यय	1,80,000	62,534
(1.2.2.13) मरम्मत और रखरखाव	6,00,000	4,88,501
(1.2.2.14) बीमा प्रभार	0	0
(1.2.2.15) अन्य कार्यालयीन व्यय	24,00,000	21,58,535
(1.2.2.16) किराया, दरें एवं कर	2,05,00,000	2,04,40,821
कुल प्रशासनिक व्यय	3,79,90,000	3,66,27,510
(1.2.3) अनु. एवं वि. तथा मानव संसाधन विकास		
(1.2.3.01) प्रशिक्षण	41,00,000	36,95,591
(1.2.3.02) तकनीकी विकास तथा अनुसंधान कार्य	41,00,000	40,53,625
(1.2.3.03) कार्यशालायें तथा संगोष्ठियां	49,00,000	26,57,411
(1.2.3.04) व्यावसायिक निकायों को योगदान	7,00,000	6,29,760
(1.2.3.05) व्यावसायिक सेवाएं	1,54,00,000	1,53,45,261
कुल अनु. एवं वि. तथा मानव संसाधन विकास	2,92,00,000	2,63,81,648



(1.2.4) प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रचार		
(1.2.4.01) प्रकाशन	2,00,000	0
(1.2.4.02) विज्ञापन और प्रचार	13,00,000	12,00,665
(1.2.4.03) किताबें, पत्रिकाएं और दृश्य—श्रव्य सामग्री	20,000	3,204
कुल प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रचार	15,20,000	12,03,869
(1.2.5) एसटीए, पीटीए और एनक्यूएम		
(1.2.5.01) एनक्यूएम को मानदेय	1,40,00,000	1,35,51,000
(1.2.5.02) एनक्यूएम के लिए यात्रा व्यय	1,20,00,000	1,14,18,675
(1.2.5.03) प्रमुख तकनीक एजेंसी को भुगतान	0	0
(1.2.5.04) राज्य तकनीकी एजेंसी को भुगतान	8,68,90,000	8,33,19,505
कुल एसटीए, पीटीए और एनक्यूएम	11,28,90,000	10,82,89,180
(1.2.6) ओएमएमएस और कम्प्यूटरीकरण		
(1.2.6.01) ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली विकास—रखरखाव	2,70,00,000	2,63,86,000
(1.2.6.02) कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री किराया	0	0
(1.2.6.03) ई—प्रापण का विकास—रखरखाव	4,96,00,000	4,94,68,377
कुल ओएमएमएस और कम्प्यूटरीकरण	7,66,00,000	7,58,54,377
(1.2.8) एडीबी से तकनीकी सहायता		
(1.2.8.01) परामर्शदात्री सेवाएं	2,78,00,000	2,21,39,563
(1.2.8.02) अन्य		
कुल एडीबी से तकनीकी सहायता	2,78,00,000	2,21,39,563
(1.2.10) विश्व बैंक ऋण (आरआरपी – II)		
(1.2.10.01) अनुसंधान एवं विकास	8,14,38,000	7,33,46,166
(1.2.10.02) निष्पादन एवं वित्तीय लेखा—परीक्षा का स्वतंत्र सत्यापन	20,00,000	0
(1.2.10.03) प्रशिक्षण	3,85,62,000	3,34,33,987
(1.2.10.04) उपस्कर	2,40,00,000	1,84,37,199
(1.2.10.05) परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता	40,00,000	27,05,123
कुल विश्व बैंक ऋण (आरआरपी—II)	15,00,00,000	12,79,22,475
(2.2) पूँजीगत व्यय		
(2.2.01) कार्यालय परिसर की खरीद/सौदर्यकरण	2,00,000	0
(2.2.02) कार्यालय का फर्नीचर एवं अन्य सुविधाएं	3,00,000	0
(2.2.03) वाहनों की खरीद	0	0
(2.2.04) उपस्करों एवं मशीनरी की खरीद	47,00,000	41,67,862
(2.2.05) कम्प्यूटरों एवं अन्य सामग्री की खरीद	9,00,000	3,91,866
कुल पूँजीगत व्यय	61,00,000	45,59,728
कुल व्यय	55,34,00,000	47,78,36,024
ग्रामीण आवास		
(नाबाड्ड से ग्रामीण आवास ऋण	1,99,99,80,00,000	1,99,99,82,20,100
नाबाड्ड को ग्रामीण आवास ऋण के ब्याज का भुगतान	24,04,72,36,675	24,07,63,79,629
कुल	2,24,59,86,36,675	2,24,55,24,35,753



अनुलग्नक – XI क

मार्च 31, 2021 का तुलन पत्र

(राशि रूपये)

पूँजीगत निधि और देयताएं	अनुसूची	2020–21	2019–20
पूँजीगत / कॉर्पस फंड	1	7,95,99,029.31	20,85,82,490.17
ग्रामीण आवास हेतु नाबाड़ से ऋण	2	4,88,19,03,00,000.00	2,88,19,40,66,500.00
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	4	1,08,44,704.00	61,79,972.00
कुल		4,88,28,07,43,733.31	2,88,40,88,28,962.17
परिसंपत्तियां			
अचल संपत्ति	3	2,49,77,218.79	2,41,91,597.95
वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम	5	6,54,66,514.52	19,05,70,864.22
ग्रामीण आवास के लिए राज्यों को अग्रिम	2	4,88,19,03,00,000.00	2,88,19,40,66,500.00
कुल		4,88,28,07,43,733.31	2,88,40,88,28,962.17
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और खाते के लिए नोट्स	12		

सम संख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट से संलग्न
कृते जीके सुरेका एवं कंपनी
चार्टेड एकाउटेंट्स

कृते राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी

सीए खुर्रम जावेद
साझीदार

(दीपक आशीष कौल)
निदेशक (वि. एवं प्रशा.)

(आशीष कुमार गोयल)
महानिदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 31.12.2021



संलग्नक: XI ख

31.03.2021 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 1 - पूँजी/कोष निधि

(राशि रु.)

ब्यौरे	2020-21	2019-20
1). पूँजी परिसंपत्ति निधि		
वर्ष के शुरुआत में शेष	4,99,12,106.05	4,93,66,150.05
जोड़ा गया: पूँजी निधि में योगदान	43,66,063.00	5,45,956.00
कुल	5,42,78,169.05	4,99,12,106.05
2). सहायता अनुदान		
विगत तुलन पत्र के अनुसार	(37,59,54,832.46)	(22,81,37,087.38)
जोड़/ घटाव:- वर्ष के लिए व्यय पर आय का आधिक्य घटाव: खरीदी / बेची गई संपत्ति की सीमा तक पूँजी निधि में स्थानांतरित	(12,89,83,460.86)	(14,72,71,789.08)
कुल	(43,66,063.00)	(5,45,956.00)
	(50,93,04,356.32)	(37,59,54,832.46)
3). विश्व बैंक सहायता		
विगत तुलन पत्र के अनुसार	53,46,25,216.58	53,46,25,216.58
कुल	53,46,25,216.58	53,46,25,216.58
कुल (1+2+3)	7,95,99,029.31	20,85,82,490.17

अनुसूची 2 - गैर वर्तमान देयताएं

विवरण	2020-21	2019-20
1. विभिन्न राज्यों को संवितरण के लिए नाबार्ड से लिया गया ऋण (ग्रामीण आवास)	4,88,19,03,00,000.00	2,88,19,40,66,500.00
कुल	4,88,19,03,00,000.00	2,88,19,40,66,500.00



अनुसूची 4 – वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

ब्यौरे	2020-21	2019-20
1. प्रतिभूति जमा	35,321.00	2,92,453.00
2. देय व्यय	1,07,42,969.00	56,19,319.00
3. विविध लेनदार	66,414.00	2,68,200.00
4. नाबार्ड ग्रामीण आवास ब्याज देय के लिए निर्धारित बचत बैंक खाते में प्राप्त ब्याज	-	-
कुल	1,08,44,704.00	61,79,972.00

अनुसूची 5 – वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम इत्यादि

ब्यौरे	2020-21	2019-20
A. वर्तमान परिसंपत्तियां		
<u>नगदी एवं बैंक शेष</u>		
हस्तगत नगदी (रकम) बैंक शेष	-	-
-एच डी एफ सी खाता सं. 3152 (एमओआरडी)	2,35,551.30	2,20,656.30
-एच डी एफ सी खाता स. 7165 (नाबार्ड हेतु)		-
-भारतीय स्टेट बैंक (चालू)	-	-
- भारतीय स्टेट बैंक (बचत)	1,24,71,176.94	2,46,565.00
- भारतीय स्टेट बैंक (ग्रामीण आवास हेतु बचत भीकाजी कामा प्लेस)	1,25,96,220.00	18,90,371.00
- भारतीय स्टेट बैंक (ग्रामीण आवास हेतु बचत)	2,07,89,661.00	2,43,33,805.00
सावधि जमा		
सावधि जमा रसीद – अन्य अनुदान	4,62,941.00	4,32,755.00
सावधि जमा रसीद – एसबीबीजे खाता	61,00,000.00	11,31,25,345.56
बैंक गारंटी के प्रति	96,166.28	82,412.48
कुल (क)	5,27,51,716.52	14,03,31,910.34



ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां

1. वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियां	1,24,94,698.00	5,01,89,823.00
2. वापिसी योग्य आयकर (नि.व. 2013-14)	-	49,130.88
3. पूर्वावधि समायोजन	2,20,100.00	
कुल (ख)	1,27,14,798.00	5,02,38,953.88
कुल (क+ख)	6,54,66,514.52	19,05,70,864.22

अनुसूची 6 – सहायता अनुदान (एमओआरडरी)

ब्यौरे	2020-21	2019-20
(प्राप्त अप्रतिसंहरीणीय अनुदान)		
1) एजेंसी के खर्चों की पूर्ति के लिए	26,68,00,000.00	10,94,00,000.00
2) विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए	7,36,43,305.00	7,22,00,000.00
3) एडीबी से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए	2,00,00,000.00	3,25,00,000.00
4) ग्रामीण आवास के लिए ऋण (नाबाड़ से प्राप्त ऋण)		1,08,11,00,00,000.00
5) ग्रामीण आवास के लिए (नाबाड़ को ब्याज भुगतान)	24,04,72,36,675.00	15,65,87,56,392.00
(क) वर्ष के दौरान प्राप्ति राशि	24,40,76,79,980.00	1,23,98,28,56,392.00
घटाना : ग्रामीण आवास के लिए राज्य को निधि स्थानांतरण के प्रति समायोजन		1,08,10,97,79,900.00
(ख) कुल	24,40,76,79,980.00	15,87,30,76,492.00
कुल	24,40,76,79,980.00	15,87,30,76,492.00

अनुसूची 7 – प्राप्त / अर्जित ब्याज

ब्यौरे	2020-21	2019-20
एसबीआई खाते में प्राप्त बैंक ब्याज	1,49,995.00	1,07,894.00
एसबीआई खाते में प्राप्त बैंक ब्याज (भीकाजी कामा)	66,33,028.00	28,73,560.00
सावधि जमा खाते पर प्राप्त बैंक ब्याज	1,32,00,463.97	1,39,70,394.00
एचडीएफसी बैंक गारंटी पर प्राप्त बैंक ब्याज	28,648.80	-
एसबीआई खाता (कृषि भवन) में प्राप्त बैंक ब्याज	2,98,91,731.00	2,41,13,705.00
कुल	4,99,03,866.77	4,10,65,553.00



अनुसूची 8 - विविध प्राप्तियां

ब्यौरे	2020-21	2019-20
अन्य प्राप्तियां	1,19,416.00	1,57,419.00
दावा न किए गए विधि लैनदारों को बट्टे खाते डालना	2,01,786.00	52,70,231.00
जब्त प्रतिभूति राशि	2,57,132.00	-
कुल	5,78,334.00	54,27,650.00

अनुसूची 9- स्थापना व्यय

ब्यौरे	2020-21	2019-20
क) वेतन एवं तनख्वाह (वैजेज़)	7,38,74,720.00	7,27,62,985.00
ख) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	9,82,954.00	10,04,544.00
कुल	7,48,57,674.00	7,37,67,529.00

अनुसूची 10- प्रशासनिक एवं अन्य व्यय

ब्यौरे	2020-21	2019-20
प्रशासनिक व्यय		
देशीय यात्रा व्यय	11,88,913.00	81,45,548.00
विद्युत व्यय	24,13,791.00	25,95,967.00
यात्रा वाहन और वाहनों को किराये पर लेने का व्यय	35,25,756.00	29,56,494.00
बैठक के व्यय	9,395.00	1,24,928.00
कार्यालय रखरखाव / कर एवं शुल्क	52,55,309.00	35,28,926.00
अन्य कार्यालय व्यय	22,49,496.88	23,12,185.00
डाक व्यय	62,034.00	1,53,346.00
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	3,46,252.00	3,55,035.00
मरम्मत एवं रखरखाव	2,71,559.00	12,22,067.00
कार्यालय टेलीफोन व्यय	2,14,844.00	2,26,132.00
आवासीय टेलीफोन व्यय	2,14,444.00	2,11,488.00
वाहन रखरखाव	8,22,103.00	6,37,479.00



किराए दरें एवं कर	2,04,40,821.00	1,71,65,683.00
सांविधिक लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	1,60,480.00	80,240.00
	3,71,75,197.88	3,97,15,518.00
अनुसंधान एवं विकास व्यय		
प्रशिक्षण	21,89,598.00	84,25,231.00
तकनीकी विकास एवं अनुसंधान कार्य	40,53,625.00	89,67,856.00
कार्यशाला और सम्मेलन	37,44,811.00	1,04,93,939.82
व्यावसिक निकायों में योगदान	6,29,760.00	4,97,500.00
व्यावसायी सेवाएं	1,53,45,061.00	92,83,144.00
	2,59,62,855.00	3,76,67,670.82
प्रकाशन , विज्ञापन एवं प्रचार		
प्रकाशन		1,55,366.00
विज्ञापन और प्रचार	12,00,665.00	43,22,215.00
पुस्तकें, पत्रिका एवं ऑडियो श्रव्य—दृश्य सामग्री	3,204.00	11,374.00
	12,03,869.00	44,88,955.00
एसटीए, पीटीए एवं एनक्यूएम		
एनक्यूएम को मानदेय	1,35,51,000.00	2,61,73,000.00
एनक्यूएम के यात्रा व्यय	1,14,18,675.00	2,24,34,594.00
राज्य तकनीकी एजेंसियों को भुगतान	8,33,19,505.00	-
ई.खरीद में संवर्धन एवं रखरखाव	4,94,68,377.00	4,32,439.00
ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली का विकास एवं रखरखाव	2,63,86,000.00	1,90,80,642.00
	18,41,43,557.00	6,81,20,675.00
एडीबी से सहायता प्राप्त परियोजना से तकनीकी सहायता		
परामर्शी सेवा	2,21,39,563.00	4,06,89,633.00
	2,21,39,563.00	4,06,89,633.00
कुल	27,06,25,041.88	19,06,82,451.82



अनुसूची 11- विश्व बैंक सहायता

ब्यौरे	2020-21	2019-20
विश्व बैंक व्यय:		
निष्पादन एवं एफ.ए. का स्वतंत्र सत्यापन	-	-
अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय	9,18,36,398.62	8,31,09,152.00
प्रशिक्षण	3,42,53,202.00	5,49,52,170.50
परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता	1,71,76,055.00	-
उपकरण खरीद के लिए राज्यों को दिया गय अनुदान	1,84,37,195.90	
कुल	16,17,02,851.52	13,80,61,322.50
कुल	16,17,02,851.52	13,80,61,322.50

सूची-1 देय व्यय

ब्यौरे	2020-21	2019-20
देय प्रशासनिक व्यय		
देय देशीय यात्रा व्यय	50,691.00	41,003.00
विद्युत व्यय	1,04,530.00	14,769.00
वाहन किराये पर लेने का व्यय	2,44,820.00	2,67,136.00
देय लेखा परीक्षा शुल्क	80,240.00	80,240.00
देय अन्य कार्यालय व्यय	68,026.00	25,695.00
देय मरम्मत और रखरखाव	4,952.00	2,21,894.00
देय टेलीफोन कार्यालय	12,796.00	17,095.00
जम्मू और कश्मीर आरआरडीए	-	10,00,000.00
आन्ध्र	-	6,29,955.00
देय कार्यालय रखरखाव, कर एवं शुल्क	5,50,122.00	1,64,663.00
वाहन रखरखाव	81,850.00	58,940.00
कुल (क)	11,98,027.00	25,21,390.00



<u>देय स्थापना व्यय</u>		
देय अवकाश वेतन एवं पैशन योगदान	26,88,141.00	26,88,141.00
कुल (ख)	26,88,141.00	26,88,141.00
<u>देय विश्व बैंक व्यय</u>		
देय विश्व बैंक व्यय		
कुल (ग)	-	-
<u>देय टीडीएस व्यय</u>		
टीडीएस (संविदाकार)	81,045.00	58,655.00
टीडीएस (पेशेवर)	60,46,135.00	3,08,488.00
टीडीएस (किराया)	6,01,307.00	-
टीडीएस (वैतन)	83,629.00	-
कुल (घ)	68,12,116.00	3,67,143.00
<u>देय अन्य खर्च व्यय</u>		
श्री कुकरेजा का प्रेषण	21,226.00	21,226.00
श्री तौफीक अहमद का प्रेषण	8,605.00	8,605.00
श्री प्रवीन कुमार का प्रेषण	50	50
श्रीमती वेदुला का प्रेषण	3,720.00	3,720.00
निदेशक (वि.एवं.प्र.) का प्रेषण	432	432
श्री लोचन का प्रेषण	2,880.00	1,920.00
श्री सुनील कुमार का प्रेषण	3,120.00	1,680.00
निदेशक (पी.- ।।।) का प्रेषण	432	432
श्री आर पी राजेन्द्रन का प्रेषण	3,500.00	3,500.00
श्री प्रदीप अग्रवाल का प्रेषण	-	1,080.00
श्री राकेश कुमार का प्रेषण	720	
कुल (च)	44,685.00	42,645.00
कुल (क+ख+ग+घ+च)	1,07,42,969.00	56,19,319.00



सूची-2 विविध लेनदार

ब्यौरे	2020-21	2019-20
श्री असित कुमार जैन	-	1,47,986.00
श्री राकेश कुमार	44,262.00	44,262.00
श्री शैलेन्द्र कुमार दुबे	-	82,276.00
श्री चमन लाल निदेशक (पी. ।।।)	-	26,719.00
श्री कैलाश बिष्ट	22,152.00	22,152.00
श्रीमती शांतिप्रिया शरेल्ला	-	(55,195.00)
कुल	66,414.00	2,68,200.00

सूची 3. धरोहर राशि (ईएमड)

ब्यौरे	2020-21	2019-20
स्वचालन (ऑटोमैशन)	-	281
इपसियन	-	144
लैबोटैक्स	13,184.00	13,184.00
ओ ए कम्प्सर्व	-	945
कैरियर एअर कंडीशनर	10,000.00	10,000.00
विलोसिस सिस्टम	-	236
प्रिमियर सेफगार्ड	-	1,690.00
प्रोग्रेशन	-	1,205.00
प्रोविजमेन	-	-
आर.डी. एन्टरप्राईस	-	3,070.00
विजय ब्रास	-	1,650.00
जतसम	12,137.00	12,137.00
जी.ए. डिजिटल	-	95,764.00
भगवती प्रिंटर्स	-	1,15,786.00
एसेंट	-	35,608.00
कुल	35,321.00	2,92,453.00



सूची 4. अग्रिम तथा अन्य वसूली योग्य राशि

ब्यौरे	2020-21	2019-20
अग्रिम		
लैब उपकरणों के लिए अग्रिम (विश्व बैंक)	4,18,843.00	4,18,843.00
तकनीकी संवर्धन और अनुसंधान कार्य (एमओआरडी)	6,49,359.00	6,49,359.00
कार्यशाला और सम्मेलन (एमओआरडी)	11,210.00	10,98,510.00
अनुसंधान एवं विकास	68,91,463.00	2,53,81,695.00
प्रशिक्षण हेतु अग्रिम	15,04,593.00	73,671.00
प्रशिक्षण हेतु अग्रिम (विश्व बैंक)	28,03,089.00	62,45,917.00
व्यावसायिकों के लिए अग्रिम	-	-
परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं के लिए अग्रिम	1,26,629.00	1,62,32,316.00
कुल	1,24,05,186.00	5,01,00,311.00

सूची .5—वसूली योग्य राशि

ब्यौरे	2020-21	2019-20
अन्य राशि		
अशोक टूरिस्ट सर्विस स्टेशन	14,270.00	14,270.00
एम.टी.एन.एल.	75,242.00	75,242.00
कुल	89,512.00	89,512.00



राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी
दिनांक 31.03.2021 को तुलन पत्र भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 अचल परिसंपत्तिया

विवरण	मूल्य हास की दर	सकल लाँक		वर्ष की समाप्ति (31.03.2021) को लागत /मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ (01.04.2020) को	मूल्य हास	निबल लाँक
		वर्ष के दौरान संवर्धन	180 दिनों से छम अधिक				
क.अचल परिसंपत्ति							
1. कार्यालय आवास	10.00	80,924,072.00		0.00	80,924,072.00	64,620,816.83	66,251,142.35
2. फर्नीचर, फ्रिस्चर	10.00	19,423,401.00	-	0.00	19,423,401.00	15,820,305.29	16,180,614.86
3. मशीन एं उपकरण	15.00	5,498,535.00	1,886,346.00	2,281,516.00	9,666,337.00	3,811,461.45	4,548,225.83
4. वाहन	15.00	2,475,464.00	-	0.00	2,475,464.00	1,511,343.04	1,655,961.18
5. कंटेन्टर/बाह्य उपकरण	40.00	18,549,447.00	122,369.00	75,832.00	18,747,648.00	16,918,520.61	819,502.82
6. हड्डियाँ की ई खरीद	40.00	8,725,616.00	-	0.00	8,725,616.00	8,722,538.05	1,235.18
7. सॉफ्टवेयर की ई खरीद	40.00	107,978.00	-	0.00	107,978.00	107,939.79	15.28
8. मोबाइल	100.00	2,081,006.00	-	0.00	2,081,006.00	2,081,006.00	-
कुल	137,785,519.00	2,008,715.00	2,357,348.00	0.00	142,151,582.00	113,533,921.06	3,580,445.23
कार्यालय आवास का विक्रय करारनाम पंजीकृत नहीं हुआ है लेकिन एनबीसीसी द्वारा भौतिक कब्जा सौंप दिया गया है। इसलिए भौतिक कब्जे के आधार पर कार्यालय आवास को पूँजीकृत किया गया है।							
कृते राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी इसलिए भौतिक कब्जे के आधार पर कार्यालय आवास को पूँजीकृत किया गया है। कृते जीके सुरेका एवं कपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सीए खुरम जावेद साझेदार स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 31.12.2021							
(आशीष कुमार गोयल) महानिदेशक							
(दीपक आशीष कोल)							
निदेशक (वि एवं प्रशा.)							



अनुलग्नक – XI घ

अनुसूची–12

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखों की प्रस्तुति में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्नलिखित हैं:—

क. लेखांकन नीतियां (एएस–1)

वर्ष के दौरान, एजेंसी ने आईसीएआई और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा जारी लेखांकन मानकों का, भारत में लागू लेखांकन सिद्धांतों के साथ संचयी लेखांकन का पालन किया है।

ख. अचल परिसंपत्तियां (एएस–10)

स्थायी संपत्ति को मूल्य छास को घटाकर दर्शाया गया है। लागत में अर्जन की लागत, सुधार करने की लागत और इच्छित उपयोग की स्थिति में लाने के लिए खर्च की गई कोई भी लागत शामिल है।

ग. मूल्य छास (एएस–6)

मूल्य छास को भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट लिखित मूल्य के अनुसार किया गया है।

घ. अनुदान (एएस–12)

सोसाइटी व्यय—वर्ष में विशिष्ट सहायता—अनुदान को चिह्नित करती है। सहायता—अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों अर्थात् राजस्व और स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद के लिए प्राप्त किए जाते हैं। राजस्व का लेखा—जोखा, आय और व्यय लेखे में व्यवस्थित आधार पर, संबंधित अभिप्रेत लागतों के साथ आवश्यक रूप से मेल खाने वाली अवधि के अनुरूप मान्य करते हुए रखा जाता है। ऐसे सहायता—अनुदान को ‘आय’ लेखा शीर्ष के अंतर्गत अलग से ‘सहायता—अनुदान’ के रूप में दर्शाया जाता है।

अवक्षयी स्थायी परिसंपत्तियों के क्रय के लिए प्राप्त अनुदान का लेखांकन प्रक्रिया पूँजीगत निधि के तहत दर्शाया गया है। ऐसे अनुदान को परिसंपत्तियों पर रोपित छास की अवधि और हिस्से के अनुसार आय के लिए आवंटित किया जाता है।



अनुलग्नक – XI च

लेखाओं के लिए टिप्पणियां
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची – 12 (क)

- एजेंसी को पीएमएवाई–जी के लिए इस वर्ष तक आगे राज्यों को संवितरित करने के लिए नाबाड़ से रु. 48,819.21 का ऋण प्राप्त हुआ जिसके लिए 31.03.2021 तक संबंधित राज्यों से 34,529.43 करोड़ रुपए के लिए उपयोग प्रमाण–पत्र एकत्रित/प्रस्तुत किए जा चुके हैं।
- कार्यालय परिसर जिसके लिए पिछले वर्षों के दौरान कुल 7,88,30,479.00/- रु. की राशि व्यय की गई है, का संबंधित प्राधिकरण के समक्ष पंजीकरण अभी तक लंबित है। यह सबलीज भू एवं विकास अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के पास लंबित है जिसके लिए सोसाइटी द्वारा एनबीसीसी को अनुरोध–पत्र भेजा गया है।
- भारतीय स्टेट बैंक का ब्याज प्रमाणपत्र राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के नाम से एक बचत बैंक खाता दिखाता है जिसमें रु.34.84 लाख बचत ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं। स्पष्टीकरण के अनुसार, इसे पीएमजीएसवाई फंड के तहत राज्यों के लिए खोला गया है और तदनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी की लेखा पुस्तकों में विचार नहीं किया गया है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुदान पत्र में निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) की योजना के तहत संबंधित राज्यों को अनुदान राजस्व प्रकृति का है) जिसका व्यय केंद्र और लाभार्थी राज्यों द्वारा क्रमशः 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा) लेकिन हमें इस उद्देश्य के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारी और दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं कि संबंधित राज्यों द्वारा अपना हिस्सा दे दिया गया है या नहीं।
- उपयोग प्रमाणपत्र/संबंधित बिलों की प्राप्ति न होने के कारण अग्रिम भुगतान वर्षों से बकाया है।

विवरण	2019–2020	बढ़ौतरी	कमी	2020–21
1. प्रयोगशाला उपकरणों के लिए अग्रिम (विश्व बैंक)	4,18,843.00	0.00	0.00	4,18,843.00
2. तकनीकी विकास एवं अनुसंधान कार्य (एमओआरडी)	6,49,359.00	0.00	0.00	6,49,359.00
3. कार्यशाला एवं सम्मेलन (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	10,98,510.00	0.00	10,87,300.00	11,210.00
4. अनुसंधान एवं विकास	2,53,81,695.00	2,00,000.00	1,86,90,232.00	68,91,463.00
5. प्रशिक्षण हेतु अग्रिम	73,671.00	15,04,593.00	73,671.00	15,04,593.00



6. प्रशिक्षण हेतु अग्रिम (विश्व बैंक)	62,45,917.00	0.00	34,42,828.00	28,03,089.00
7. परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं के लिए अग्रिम (विश्व बैंक)	1,62,32,316.00	0.00	1,61,05,687.00	1,26,629.00
कुल	5,01,00,311.00	17,04,593.00	3,93,99,718.00	1,24,05,186.00

6. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय के लिए रुपये 43,54,00,000/- रुपये की राशि की मंजूरी दी है। टीएसए नीति के अनुसार टीएसए आरबीआई बैंक खाते से 31.03.2021 को अव्ययित शेष के रूप में 7,49,56,695/-रुपये को व्यपगत कर दिया गया है। इसलिए, एजेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राप्त अनुदान की निवल राशि रु. 36,04,43,305/-है।

कृते जीके सुरेका एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

कृते राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी

सीए खुर्रम जावेद
(साझीदार)

(दीपक आशीष कौल)
निदेशक (वित्त एवं प्रशा.)

(आशीष कुमार गोयल)
महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :



31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान थाता

	प्राप्ति	2020-21	2019-20	भुगतान	2020-21	2019-20
प्रारंभिक शेष				पूँजीगत लेखा		
रोकड़	-	-		खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तिय	4,366,063.00	545,956.00
हेंक शेष	26,691,397.30	11,070,292.80			-	-
सावधि जमा	113,640,513.04	241,237,856.86			-	-
एमओआरडीए से अनुदा				अन्य छर्ट		
क) व्यय हेतु	360,443,305.00	214,100,000.00	स्थापना व्यय	74,857,674.00	73,632,034.00	
	-	-	प्रशासनिक व्यय	265,136,288.88	191,045,174.82	
	-	-	विश्व बैंक व्यय	161,702,851.52	138,135,298.50	
छ) नाबांड से ग्रामीण आवास ऋण हेतु	199,998,000,000.00	108,110,000,000.00	ग्रामीण आवास के लिए नाबांड से ऋण	199,998,220,100.00	108,109,779,900.00	
ग) नाबांड को श.आ. ऋण के व्याज की अदायगी हेतु	24,047,236,675.00	15,658,756,392.00	ग्रामीण आवास ऋण के लिए नाबांड को व्याज भुगतान	24,076,379,629.00	15,675,537,112.00	
घ) नाबांड ऋण लेखा से प्राप्त व्याज	-	-		-	-	
अन्य आय						
व्याज की आय	49,903,866.77	41,065,553.00	विगत वर्ष के भुगतान पर टीडीएस	367,143.00	4,624,171.00	
अन्य प्राप्तिया	-	-	जमा की गई प्रतिशूलि	257,132.00	-	
		-	अन्य अप्रिय	(37,695,125.00)	(57,481,573.00)	
दसूल की गई राशि	(150,615.12)		अधिशेष राशि			
			नकदी			
विभिन्न प्राप्तिया	578,334.00	157,419.00	बैंक शेष	46,092,609.24	6,691,397.30	
			सावधि जमा	6,659,107.28	113,640,513.04	
	224,596,343,472.92	124,276,149,983.66		224,596,343,472.92	124,276,149,983.66	

कृते राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी

(आशीष कुमार गोयल)
महानिदेशक

(दीपक आशीष कौल)
निदेशक (वि एवं प्रश.)

स्थान: नई दिल्ली
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
सीए खुर्स जावेद
साझीदार
दिनांक : 31.12.2021



अनुलग्नक –XI ज

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

(राशि रु.में)

आय	अनुसूची	2020–21	2019–20
सहायता अनुदान	6	24,407,679,980.00	15,873,076,492.00
प्राप्त ब्याज	7	49,903,866.77	41,065,553.00
विविध प्राप्तियां और पूर्वावधि के समायोजन	8	578,334.00	5,427,650.00
कुल(क)		24,458,162,180.77	15,919,569,695.00
व्यय			
नाबांड ग्रामीण आवास को प्रदत्त ब्याज		24,076,379,629.00	15,660,598,297.00
स्थापना व्यय	9	74,857,674.00	73,767,529.00
प्रशासनिक व्यय	10	270,625,041.88	190,682,451.82
विश्व बैंक परियोजना सहायता	11	161,702,851.52	138,061,322.50
मूल्य ह्रास	3	3,580,445.23	4,057,881.77
कुल(ख)		24,587,145,641.63	16,067,167,482.09
आय (क–ख) से अधिक आय / व्यय का शेष		128,983,460.86	147,597,787.09
पूँजी / कोष निधि में स्थानांतरित		128,983,460.86	147,597,787.09

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीके सुरेका एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउटेंट

कृते राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी

सीए खुर्म जावेद
(साझीदार)

(दीपक आशीष कौल)
निदेशक (वित्त एवं प्रशा.)

(आशीष कुमार गोयल)
महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.12.2021



राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

5वां तल, 15 एनबीसीसी टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली—110 066

दूरभाष: 91—11—26716930 / 33, फैक्स: 91—11—26179555, ई—मेल: nrrda@pmgsy.nic.in

वेबसाइट: www.omms.nic.in www.pmgsy.nic.in